[2020] 13 एस. सी. आर. 368

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर

वी.

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

(2019 की सिविल अपील संख्या 6347)

14 अगस्त, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss. 7 और 238-एक सीमा अधिनियम, 1963 - एस. 18 और कला। 137 – 22.12.2007 पर या उसके आसपास, ऋणदाता बैंकों ने कॉर्पोरेट देनदार को विभिन्न ऋण, अग्रिम और सुविधाओं को मंजूरी दी और विस्तारित किया-प्रत्यर्थी नं। 1 - द.

उत्तरदाता नं। 1 ऐसे ऋणों, अग्रिमों और सुविधाओं के लिए देय राशि के भुगतान में चूक करने पर, इसके खाते को 08.07.2011 वसूली कार्यवाही पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

ऋणदाताओं के संघ द्वारा निगमित देनदार के विरुद्ध यू / एस. 19 का

डी. आर. टी. शुरू होने से पहले बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋणों की वसूली-<आई. डी. 1 पर या उसके आसपास, प्रत्यर्थी सं. 2 , वित्तीय के रूप में अपनी क्षमता बताते हुए लेनदार, लेनदार बैंक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को वितरित किए गए ऋणों और अग्रिमों का समनुदेशक होने के लिए, यू /

एस. 7 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष संहिता और प्रत्यर्थी सं. के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत की मांग की। 1 - न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की। अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष संहिता की धारा 7, अपीलार्थी-प्रत्यर्थी सं. 1 कंपनी ने तर्क दिया कि दावे को समय से रोक दिया गया था, हालांकि, अपील को अपीलीय द्वारा खारिज कर दिया गया था

न्यायाधिकरण-पीड़ित, अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की

न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में सीमा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण को भेज दिया आवेदन यू / संहिता की धारा 7-अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि यू/एस को लागू करने का अधिकार है। 7 केवल 01.12.2016 पर उपार्जित कोड का, अर्थात जब कोड लागू हुआ और इसलिए, द्वारा दायर आवेदन

वर्ष 2018 में वित्तीय लेनदार को सीमा द्वारा वर्जित नहीं किया गया है; और यह कि बंधक संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए सीमा की अवधि 12 वर्ष है, इसलिए, दावा निम्न द्वारा वर्जित नहीं है -

सीमा-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः के लिए सीमा की अवधि

368 बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन यू / संहिता की धारा 7 सीमा अधिनियम के Art.137 द्वारा शासित है और इसलिए यह तीन साल बाद लागू होती है।

आवेदन करने की सही तारीख-तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन सं। 2 यू / मार्च 2018 के महीने में संहिता की धारा 7, जिसमें निगमित देनदार के संबंध में चूक की तारीख तक विशिष्ट दावे के साथ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग की गई है, जैसा कि आवेदन में कहा गया है, डिफ़ॉल्ट की तारीख से तीन साल की अवधि से बहुत बाद में दायर करने के लिए सीमा द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है-एन. सी. एल. टी. ने सीमा के प्रश्न की जांच भी नहीं की थी-जबकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर सीमा के प्रश्न का निर्णय लिया था-संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूर से यह इंगित कर सके कि क्या किसी आवेदन के उद्देश्य के लिए सीमा की अवधि यू / धारा 7 संहिता के प्रारंभ की तारीख से ही शुरू होनी है-एन. सी. एल. ए. टी. केवल इस धारणा पर, बिना किसी आधार के और बिना किसी आधार के आगे बढ़ा-इसके अलावा, एन. सी. एल. ए. टी. का यह तर्क कि संपत्ति को गिरवी रखा जा रहा है, सीमा की अवधि बारह वर्ष की है, फिर से गलत है और सर्वोच्च न्यायालय के कथन के अनुरूप नहीं है-जैसा कि बी. के. शिक्षा सेवा में है, यह अनिश्चित शर्तों में आयोजित किया गया था।

कि कला में दी गई सीमा। 137 आवेदन यू/एस को नियंत्रित करता है।

7 संहिता-इसलिए, विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन संख्या। 2 सीमा द्वारा वर्जित होने के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

कि सी. आई. आर. पी. का उद्देश्य निगमित देनदार के प्रतिकूल होना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य निगमित देनदार के हितों की रक्षा करना है; (ग) संहिता का उद्देश्य उन ऋणों को जीवन का एक नया पट्टा देना नहीं है जो समय-वर्जित हैं; (घ) [2020] 13 एस. सी. आर. के लिए सीमा की अवधि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संहिता की धारा 7 के तहत सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग करने वाला आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा नियंत्रित होता है और यह है -

इसलिए, उस तारीख से तीन साल जब उपार्जित धन को लागू करने का अधिकार है; (ङ) कि एक वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए ट्रिगर कॉर्पोरेट देनदार की ओर से डिफ़ॉल्ट है, अर्थात, कोड के तहत आवेदन करने का अधिकार उस तारीख को प्राप्त होता है जब डिफ़ॉल्ट होता है; (च) कोड में निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट कॉर्पोरेट देनदार द्वारा वास्तविक गैर-भुगतान है जब कोई ऋण हो जाता है।

देय और देय; और (छ) यदि चूक आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले हुई थी, तो आवेदन समय-वर्जित होगा, सिवाय उन मामलों के जहां,

दायित्व और सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 62 इस आवेदन पर लागू नहीं होता है। [पैरा 30] [420-बी-ई] क्या धारा 18 सीमा अधिनियम वर्तमान मामले में लागू किया जा सकता है।

2. वर्तमान मामले की स्वीकृत तथ्य स्थिति पर, जहां केवल चूक की तारीख '08.07.2011' के रूप में बताई गई है

धारा 7 के तहत आवेदन को बनाए रखने का उद्देश्य संहिता, और किसी भी पावती या चूक की किसी अन्य तिथि का सुझाव देने के लिए आवेदन में कोई नींव भी नहीं रखी गई है, इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुतियों को विकसित करने की मांग की गई है

बाद के चरण में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह सामान्य बात है कि सीमा का प्रश्न अनिवार्य रूप से कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और जब कोई पक्ष सीमा की अवधि के विस्तार या विस्तार के लिए किसी विशेष प्रावधान को लागू करने की मांग करता है, तो प्रासंगिक तथ्यों का अनुरोध करने की आवश्यकता होती है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 ने आवेदन में चूक की तारीख '08.07.2011' के रूप में बताए जाने के अलावा कभी भी कोई अभिवचन नहीं किया। कि स्थिति होने के नाते, सीमा की अवधि के विस्तार के लिए कोई मामला उपलब्ध नहीं है

जाँच की गई। दूसरे शब्दों में, भले ही सीमा अधिनियम की धारा 18 और उसके सिद्धांत लागू हों, लेकिन यह वर्तमान मामले में विचाराधीन आवेदन, बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम पर लागू नहीं होगा।

वीर गुर्जर

एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

उसमें डिफ़ॉल्ट के संबंध में बहुत ही कथन को देख रहे हैं और इसके लिए

स्वीकृति के संबंध में कोई अन्य अभिकथन की इच्छा। [पैरा 33.1] [422-डी-जी]

NCLAT के कारण

3. ऐसा प्रतीत होता है कि केवल दो कारणों ने अनिवार्य रूप से एन. सी. एल. ए. टी. के साथ वजन किया है ताकि यह माना जा सके कि विचाराधीन आवेदन भीतर है।

4. यह प्रश्न कि क्या संहिता के प्रवर्तन की तारीख (अर्थात, 01.12.2016) संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है और इसलिए, वर्ष 2018 में किया गया विचाराधीन आवेदन, सीमा के भीतर है, अधिक समय देने के लायक भी नहीं है। एक नंगी नज़र विवादित आदेश इस बात का अनुमान लगाने के लिए कुछ नहीं छोड़ता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह की टिप्पणियां बिना किसी आधार के और बिना किसी आधार के केवल अनुमानित प्रकृति की थीं। संहिता में दूर से भी यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि धारा 7 के तहत किसी आवेदन के उद्देश्य के लिए सीमा की अवधि संहिता के शुरू होने की तारीख से ही शुरू होनी है या नहीं। इसी तरह, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा बताए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सीमा अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी चीज़ को आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

वास्तव में, इस तरह की टिप्पणियां बी. के. शैक्षिक सेवाओं के मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के दायरे में थीं। [पैरा 36] [423-जी-एच; 424-ए-बी]

5. किए गए अन्य अवलोकन और तर्क के रूप में

अपीलीय न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश में यह स्वीकार किया कि संपत्ति को गिरवी रखने के बाद, गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में बारह साल की सीमा की अवधि के कारण दावा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है, फिर से गलत था और इस न्यायालय के आदेश के अनुरूप नहीं है। [पैरा 37] [424-ई-एफ] [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. अपीलीय न्यायाधिकरण बी. के. शैक्षिक सेवाओं में इस न्यायालय के निर्णय से अवगत था जिसमें यह निर्णय लिया गया था। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 137 में दी गई सीमा संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन को नियंत्रित करती है। कब

अनुच्छेद 137, "अन्य आवेदनों" के लिए सीमा की अवधि पर अवशिष्ट प्रावधान होने के कारण इस न्यायालय द्वारा सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है। संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन, यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण इस तरह के आवेदन के उद्देश्य के लिए सीमा अधिनियम (और वह भी मुकदमों से संबंधित) के किसी अन्य अनुच्छेद को कैसे लागू कर सकता था? [पैरा 37.1] [424-एफ-एच]

7. इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रश्नगत आवेदन पर लागू सीमा के उद्देश्य से बंधक देयता के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि को लागू करने में त्रुटि की थी। टिप्पणियाँ और आक्षेपित क्रम में निष्कर्षों को भी अस्वीकृत करने की आवश्यकता होती है। [पैरा 37.4] [425-ई-एफ]

8. पूर्वगामी चर्चा अपरिहार्य की ओर ले जाती है

निष्कर्ष यह है कि मार्च 2018 के महीने में संहिता की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किया गया आवेदन, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की मांग की गई है, जिसमें चूक की तारीख 08.07.2011 के विशिष्ट दावे के साथ, स्पष्ट रूप से आवेदन में बताए गए चूक की तारीख से तीन साल की अवधि से बहुत बाद में दायर किए जाने के लिए सीमा द्वारा वर्जित है। एन. सी. एल. टी. ने सीमा के प्रश्न की जांच नहीं की है; एन. सी. एल. ए. टी. ने पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर सीमा के प्रश्न का निर्णय लिया है; और उत्तरदाताओं की ओर से सीमा को बचाने का प्रयास के सिद्धांतों के संदर्भ में

स्वीकृति को अस्थिर पाए जाने के कारण, विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमा द्वारा वर्जित है। [पैरा 38] [425-एफ-एच; 426-ए]

इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. आईसीआईसीआई बैंकः (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एससीआर 33; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड वी. पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्सः

एयर 2018 एससी बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर।

5601 [2018] 12 एस. सी. आर. 794; स्विस रिबन निजी

लिमिटेड और एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। (2019) 4

एस. सी. सी. 17 [2019] 3 एस. सी. आर. 535; के. शशिधर बनाम भारतीय

विदेशी बैंकः (2019) 12 एससीसी 150 [2019] 3 एससीआर

845 ; जिग्नेश शाह और अन्र। वी. भारत संघ और एएनआर। (2019) 10 एससीसी 750: [2019] 12 एस. सी. आर. 678; वाशदेव आर.

भोजवानी बनाम. अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2019) 9 एससीसी 158 [2019] 12 एससीआर 75; गौरव

हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी

(इंडिया) लिमिटेड और ए. एन. आर. (2019) 10 एससीसी 572 [2019] 13

एस. सी. आर. 224; सागर शर्मा और अन्र। वी. फीनिक्स आर्क प्रा.

लिमिटेड और ए. एन. आर. (2019) 10 एस. सी. सी. 353: [2019] 14 एससीआर 974 -

पर भरोसा किया।

एम/एस। महाबीर कोल्ड स्टोरेज बनाम। सी. आई. टी., पटना 1991 सप.

(1) एससीसी 402: [1990] 3 पूरक। एससीआर 469 N.Balakrishnan

वी. कृष्णमूर्ति (1998) 7 एस. सी. सी. 123 [1998] 1 पूरक।

एससीआर 403; अनुज जैन बनाम। एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य।

(2020) 8 एस. सी. सी. 401-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 8 एससीआर 33

उस पर भरोसा करें

पैरा

7.1

[2018] 12 एससीआर 794

उस पर भरोसा करें

पैरा

9.2

[2019] 3 एससीआर 845

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.3

[2019] 12 एससीआर 75

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.3

[2019] 13 एससीआर 224

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.3

[2019] 14 एससीआर 974

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.4

[2019] 12 एससीआर 678

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.5

[2019] 3 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा

13.7

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 पूरक। एससीआर 469

पैरा

14.3

संदर्भित किया गया है

[1998] 1 पूरक। एससीआर 403

पैरा

14.5

(2020) 8 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

18.1 [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6347

2009 से।

राष्ट्रीय संविधान के 14.05.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला सं. 549 में कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, पीयूष सिंह,

आदित्य परोलिया, नितिन चंद्रन, अक्षय श्रीवास्तव, निधिराम श्रमा, गौरव गोयल, राजेश कुमार, सोनल जैन, सुश्री हीना शर्मा, इशकरण सिंह, सुश्री नम्रता सिंह, सुश्री काजल शर्मा, राजेंद्र बेनीवाल, दिव्यांशु श्रीवास्तव, कुमार सुमित, सुश्री बानो देशवाल, विशाल ठाकुर, श्रीराम, मनीष राव, आर. सी. कौशिक, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

संक्षिप्त रूपरेखा और शामिल मुद्दे के साथ परिचयात्मक

1. दिवाला और दिवालियापन की धारा 62 के तहत यह अपील

संहिता, 2016 1 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला संख्या 549 में पारित दिनांक 14.05.2019 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है, जिसके तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि संहिता की धारा 7 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया आवेदन, जिसमें देनदार कंपनी (प्रतिवादी संख्या 1) के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 3 की शुरुआत की मांग की गई है, सीमा द्वारा वर्जित है। और उनके पास

सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए सी. पी. (आई. बी.)-488/आई. एंड बी. पी./एम. बी./2018 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई पीठ 1 द्वारा पारित दिनांक 09.08.2018 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अनुरोध किया गया था।

2. पक्षों और विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय और साथ ही इस मामले में पारित प्रासंगिक आदेशों का एक लघु रेखाचित्र और इसमें शामिल मुद्दा शुरू में ही उचित होगा।

2.1 . अपीलार्थी श्री बाबूलाल वर्धाजी गुर्जर प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी के निदेशक रहे हैं। , वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज

1 इसके बाद इसे 'कोड' या 'आई. बी. सी.' भी कहा जाता है। 2 इसके बाद इसे 'अपीलीय न्यायाधिकरण' या 'एन. सी. एल. ए. टी.' भी कहा जाता है। 3 ' संक्षेप में सी. आई. आर. पी. '। 4 इसके बाद

'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' या 'न्यायाधिकरण' या 'एन. सी. एल. टी.' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रा. Ltd.5 21.03.2018 पर या उसके आसपास, प्रतिवादी संख्या 2 जे. एम. फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। Ltd.6, वित्तीय लेनदार के रूप में अपनी क्षमता बताते हुए, लेनदार बैंक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को वितरित ऋणों और अग्रिमों का समनुदेशक होने के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष संहिता की धारा 7 के तहत उक्त आवेदन दायर किया और प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की मांग की।

2.2 . वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने दिनांकित 09.08.2018 के आदेश द्वारा वित्तीय लेनदार द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार किया और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया। दिनांक 09.08.2018 के इस आदेश के परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट देनदार (प्रतिवादी संख्या 1) का प्रतिनिधित्व अब अंतरिम प्रस्ताव द्वारा किया जाता है।

पेशेवर।

2.3 . उपर्युक्त दिनांकित 09.08.2018 आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी ने NCLAT के समक्ष अपील की और इसके खिलाफ तर्क दिया

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन की रखरखाव क्षमता। द. अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार दायर अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपने दिनांक 17.09.2018 के आदेश द्वारा संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा 2018 की सिविल अपील संख्या 10710 में पारित दिनांकित निर्णय में अनुमोदित नहीं किया गया था, यह पता लगाने के बाद कि सीमा से संबंधित मुद्दा, हालांकि उठाया गया था, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तय नहीं किया गया था। इसलिए, मामले को एन. सी. एल. ए. टी. के पास भेज दिया गया।

विशेष रूप से सीमा के मुद्दे से निपटने के लिए। इस तरह के रिमांड के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 1 के विवादित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि न तो इस मामले में धारा 7 के तहत किया गया आवेदन सीमा द्वारा वर्जित है और न ही प्रतिवादी संख्या 2 का दावा इस तरह से वर्जित है और इसलिए, अपील को फिर से खारिज कर दिया है। पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी ने तत्काल अपील के माध्यम से फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. दिनांक 14.05.2019 के विवादित आदेश में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा है कि संहिता 01.12.2016 पर लागू होने के बाद,

वर्ष 2018 में किया गया आवेदन सीमा के भीतर है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक और कारण बताया है कि बंधक प्रतिभूति कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रदान की गई है, अनुच्छेद 61 के अनुसार वित्तीय लेनदार द्वारा किए गए दावे के लिए बारह साल की सीमा अवधि उपलब्ध है। 5 इसके बाद 'कॉर्पोरेट देनदार' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसके बाद इसे 'वित्तीय लेनदार' भी कहा जाता है। 7 ' आई. आर. पी. 'संक्षेप में।

(ख) सीमा अधिनियम, 19638-9 और इसलिए, आवेदन सीमा के भीतर है।

4. इस अपील में, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार पारित आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी तर्क देगा कि एक के लिए सीमा अवधि

संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अनुसार तीन साल का है, जहां कथित "चूक" की तारीख सीमा का प्रारंभिक बिंदु है; और वर्तमान मामले में, चूक की ऐसी तारीख का विशेष रूप से 08.07.2011 के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदन द्वारा दायर किया गया है मार्च 2018 के महीने में प्रतिवादी संख्या 2 को सीमा द्वारा वर्जित किया गया है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि विचाराधीन ऋण के संबंध में देयता को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी बैलेंस शीट और वार्षिक रिपोर्ट में लगातार स्वीकार किया गया है, इस तरह की प्रत्येक पावती की तारीख से सीमा की नई अवधि उपलब्ध है और इसलिए, आवेदन समय के भीतर है।

4.1 . इस प्रकार, इस मामले में शामिल मूल मुद्दा यह है कि क्या संहिता की धारा 7 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया आवेदन है

5. 09.08.2019 पर, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए विद्वान वकील को प्रारंभिक रूप से सुनने के बाद, हमने प्रत्यर्थी संख्या 1 को नोटिस जारी किया और अंतरिम आदेश के माध्यम से, विचाराधीन कार्यवाही के संबंध में यथास्थिति का निर्देश दिया। प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलूः वित्तीय लेनदार द्वारा आवेदन

6. प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं का सार,

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत धारा 7 के तहत आवेदन की सामग्री और एन. सी. एल. टी. द्वारा की गई टिप्पणियों और विवादित आदेशों में एन. सी. एल. ए. टी. के साथ-साथ संबंधित पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों से भी जिन पर ध्यान दिया गया है, उन्हें अब इन्फ्रा के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है।

8 इसके बाद, सीमा अधिनियम, 1963 को 'सीमा अधिनियम' भी कहा जाता है। 9 टिप्पणीः सीमा की विभिन्न अवधियों के लिए प्रावधान करने वाले अनुच्छेद सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची में निहित हैं जो तीन प्रमुख प्रभागों में विभाजित हैं। , प्रथम प्रभाग (वादों से संबंधित); द्वितीय प्रभाग (अपीलों से संबंधित); और तृतीय प्रभाग (आवेदनों से संबंधित)। प्रत्येक प्रभाग को विषय वस्तु के संदर्भ में भागों में विभाजित किया गया है। हालाँकि, अनुसूची के अनुच्छेदों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया है। इसलिए, संक्षिप्तता और निरंतरता के लिए, अनुच्छेदों का उल्लेख केवल 'सीमा अधिनियम' के संदर्भ में किया गया है। अनुसूची और विशेष भाग/प्रभाग को जहां भी प्रासंगिक रूप से आवश्यक हो, संदर्भित किया गया है।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

6.1 . 22.12.2007 पर या उसके आसपास, ऋणदाता बैंक अर्थात। , निगम

बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट देनदार को विभिन्न ऋण, अग्रिम और सुविधाओं को मंजूरी दी और विस्तारित किया। , वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, जो इसमें लगे हुए थे

6.2 . निगमित देनदार ने ऐसे ऋणों, अग्रिमों और सुविधाओं के लिए देय राशि का भुगतान करने में चूक की है, निगम बैंक में उसके खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 08.07.2011 और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ इसे 05.08.2011 पर NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फिर, 15.11.2011 पर, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की मांग करें और

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन "इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार और उसके गारंटरों को जारी किया गया था। इन कदमों के बाद ऋणदाताओं के संघ और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण, औरंगाबाद के समक्ष ऋण वसूली न्यायाधिकरण, बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत ओ. ए. संख्या 172/2013 में निगमित देनदार के खिलाफ वसूली कार्यवाही की गई।

6.3 . यहां तक कि जब उपरोक्त कार्यवाही पहले लंबित थी

डी. आर. टी., 21.03.2018 पर या उसके आसपास, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने संहिता की धारा 7 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष फॉर्म 1 में एक आवेदन दायर किया, जैसा कि दिवाला और दिवालियापन में प्रदान किया गया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण) नियम, 2016 1 4, संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए

10 ' एन. पी. ए. 'संक्षेप में। 11 इसके बाद इसे 'सरफेसी अधिनियम' भी कहा जाता है। 12 ' संक्षेप में डी. आर. टी. '।

13 इसके बाद इसे '1993 का अधिनियम' भी कहा जाता है। 14 इसके बाद '2016 के नियम' के रूप में भी संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार को वित्तीय लेनदार के रूप में अपनी क्षमता बताते हुए, निगम बैंक द्वारा निगमित देनदार को दिए गए ऋणों और अग्रिमों का समनुदेशक होने के लिए। उक्त आवेदन में बताए गए कई विवरणों और विवरणों को वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूक होने का दावा की गई राशि का विवरण और उस तारीख को जब ऐसा चूक हुई, जैसा कि आवेदन के भाग III के बिंदु संख्या 2 में कहा गया है, वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं और उपयोग में लाए जा सकते हैं।

डिफ़ॉल्ट की कुल राशि है

एम्माउंट होने का दावा किया जाता है

" 2

1,011,573,308 (रुपया एक सौ

और

इन डेफौल्ट एंड द

एक करोड़, पंद्रह लाख तेत्तर

किस तारीख को

केवल तीन सौ आठ)

हानि

ठीक किया गया

खर्चों सहित 28-02-2018 पर

(कार्यों पर ध्यान दें

अतिरिक्त ब्याज @14.50% प्लस के

साथ

के संयोजन के लिए

1 मार्च-2018 से 2 प्रतिशत का

दंडात्मक ब्याज

राशि और तिथियाँ *

भुगतान/या प्राप्ति तक।

टेबलर में गलती

डिफ़ॉल्ट 8.7.2011 तिथि होने की

तारीखें

फॉर्म)

एनपीए का

राशि की गणना के लिए कार्यप्रणाली

यहाँ संलग्न और प्रदर्शनी के रूप में

चिह्नित

बी)।

बैंकर बुक के तहत प्रमाण पत्र

साक्ष्य अधिनियम, 1891 यहाँ संलग्न है।

और प्रदर्शनी बी-1 "के रूप में चिह्नित

किया गया।

6.4 . यह भी उपयोगी रूप से इंगित किया जा सकता है कि आवेदन का भाग-V,

प्रपत्र 1 में प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए प्रपत्र में आवेदक को "वित्तीय ऋण के विवरण [दस्तावेज, अभिलेख और वित्तीय ऋण के साक्ष्य]" बताने की आवश्यकता होती है।

डिफ़ॉल्ट] "। आवेदक ने विभिन्न प्रतिभूतियों का विवरण, उनके निर्माण की तारीख आदि के साथ-साथ डी. आर. टी. से पहले 2013 के उक्त ओ. ए. संख्या 172 से संबंधित विवरण और उसके तहत जारी किए गए नोटिस भी बताए। आवेदन के उक्त भाग-V के बिंदु संख्या 5 में, आवेदक था "आज तक के सभी संशोधनों और छूटों को दर्शाने वाले वित्तीय अनुबंध की नवीनतम और पूरी प्रति" संलग्न करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, फिर से, ऋण के लिए विभिन्न समझौते, वचन पत्र, त्रिपक्षीय समझौते,

1 5 नोटः अपनी लिखित प्रस्तुतियों में, प्रतिवादी संख्या 2 ने इस आवेदन को दाखिल करने की तारीख का उल्लेख किया है।

'28.02.2018' के रूप में लेकिन अनुलग्नक ए-5 (पीपी) के रूप में दर्ज की गई प्रतिलिपि की प्रति। 135-158) तारीख '21.03.2018' लिखा हुआ है।

1 6 टिप्पणीः यह निष्कर्षण अनुबंध ए 5 (पी पर) के रूप में रिकॉर्ड पर रखे गए आवेदन की प्रति से है। 140-142) . दूसरे कॉलम में * के साथ चिह्नित अभिव्यक्ति "DATES" को पुनः प्रस्तुत किया गया है जैसा कि पी में उल्लेख किया गया है। 141 लेकिन, 2016 के नियमों से जुड़े प्रारूप में, इस प्रविष्टि में "डेज़" अभिव्यक्ति है।

बुलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

ओर्टियम समझौतों और पूरक समझौतों का उल्लेख आवेदक द्वारा किया गया था। प्वाइंट नंबर 8 में, आवेदक को "वित्तीय ऋण के अस्तित्व, एन. टी. और चूक की तारीख" को साबित करने के लिए दस्तावेज देने की आवश्यकता थी। भाग-5 के इस बिंदु संख्या 8 पर विषय-वस्तु

आवेदन को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

वित्तीय ऋण की राशि और तिथि हानि

भारतीय द्वारा जारी दिनांक 05.07.2011 का पंजीकृत नोटिस

आई.

ओवरसीज बैंक कॉर्पोरेट देनदार को बकाया राशि चुकाने के लिए। हेरिटो संलग्न और प्रदर्शनी एमएम के रूप में चिह्नित है

उक्त पंजीकृत सूचना की प्रति।

धारा 13 के तहत जारी किया गया दिनांक 15.11.2011 का मांग नोटिस

ii.

(2) इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण अधिनियम के संघ के नेता होने के नाते। हेरेटो संलग्न और प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित

एन. एन. उक्त मांग सूचना की प्रति है।

दो समाचार पत्रों में जारी मांग सूचना का प्रकाशन

iii.

एस. ए. आर. एफ. ई. ए. एस. आई. अधिनियम दिनांक 28.12.2011 के तहत बिजनेस स्टैंडर्ड और सामना। हेरेटो संलग्न और चिह्नित प्रदर्शनी ओओ

उक्त पेपर प्रकाशन की प्रति है।

(sic)। मांग सूचना और जवाब पर आपत्ति

iii.

आई. ओ. बी. द्वारा क्रमशः 14.01.2012 और 21.01.2012 दिनांकित आपत्तियाँ कही गईं। हेरितो संलग्न और प्रदर्शनी पीपी और प्रदर्शनी क्यूक्यू के रूप में चिह्नित उक्त आपत्ति और उत्तर पत्र की प्रति है।

पंजीकृत समनुदेशन समझौता दिनांक 30.03.2013

वी.

निगम बैंक और (वित्तीय लेनदार) के बीच निगम बैंक ने वित्तीय लेनदार/आवेदक के पक्ष में अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ-साथ निगम देनदार से देय ऋण सौंपा। हेरितो संलग्न और प्रदर्शनी आर. आर. के रूप में चिह्नित उक्त पंजीकृत कार्य की प्रति है निगम बैंक के बीच दिनांकित 30.03.2013 समझौता

और वित्तीय लेनदार "।

6.5 . प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार किया गया आवेदन सं। 2 न्यायनिर्णायक ब्रैटी (एन. सी. एल. टी.) से पहले इसे सी. पी. (आई. बी.)-488/आई. और बी. पी./एम. बी./2018 के रूप में जाना जाता था। ध्यान में आने पर, कॉर्पोरेट देनदार ने अपना [2020] 13 एस. सी. आर. प्रस्तुत किया।

विरोध में जवाब दिया और आवेदन की सामग्री और ढांचे पर विभिन्न आपत्तियां उठाई। यह भी तर्क दिया गया कि निगमित देनदार को डराने और आवेदक के अवास्तविक दावे का भुगतान करने के लिए मजबूर करने के एकमात्र उद्देश्य से विभिन्न कार्यवाही शुरू की गई थी। सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही के विशिष्ट संदर्भ में, यह तर्क दिया गया कि धारा 13 (2) के तहत नोटिस के अनुसार, इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ कॉर्पोरेट देनदार के खाते को 05.08.2011 पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन यह उल्लेख नहीं किया गया था कि कॉरपोरेशन बैंक के साथ ऋण खाते को एनपीए के रूप में कब वर्गीकृत किया गया था। निगमित देनदार ने यह भी तर्क दिया कि लेखा प्रणाली में खराबी के कारण संबंधित बैंकों द्वारा उसके ऋण खाते का उचित रखरखाव नहीं किया गया था और यह स्पष्ट था कि दावा मनमाना, बढ़ा-चढ़ाकर किया गया था और वसूली योग्य नहीं था। ओ. ए. सं. 172/2013 में डी. आर. टी. के समक्ष लंबित कार्यवाही के संदर्भ में, यह भी कहा गया था

आई. बी. सी. उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां बैंक ने डी. आर. टी. से संपर्क किया है या एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. के तहत कार्यवाही को अपनाया है।

अधिनियम और, इस कारण से, वर्तमान कार्यवाही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं थी। 6.6 . आवेदक वित्तीय लेनदार ने एक प्रत्युत्तर दायर किया और निगमित देनदार की सभी आपत्तियों का खंडन करते हुए कहा कि निगम बैंक ने निगमित देनदार के खाते को 08.07.2011 पर एन. पी. ए. घोषित किया और इस तथ्य का उल्लेख सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी मांग सूचना में किया गया था, जैसा कि बैंकों के संघ की ओर से इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा भेजा गया था।

प्रारंभिक आदेश दिनांक 09.08.2018

7. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने दिनांकित 09.08.2018 के आदेश में पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार किया और इन आपत्तियों को खारिज कर दिया।

आवेदन की रूपरेखा और ऋण खातों की शुद्धता के संबंध में निगमित देनदार ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदक संहिता की धारा 7 के तहत सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार था जब ऋण था और चूक थी; और यह कि वित्तीय लेनदार के लिए उपलब्ध एक वैधानिक उपाय होने के कारण, निगमित देनदार केवल अन्य अधिनियमों के तहत अन्य कार्यवाहियों को अपनाने वाले आवेदक के लिए इसकी रखरखाव पर सवाल नहीं उठा सकता है। ऋण और ऋण चुकाने में चूक के सवाल के संबंध में, एन. सी. एल. टी. ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः

" 16. कॉरपोरेट देनदार ने तर्क दिया कि इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस में कॉरपोरेशन बैंक के ऋण के एनपीए की तारीख नहीं है।

अबुलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

याचिकाकर्ता ने जवाब में कहा कि निगम बैंक के एन. पी. ए. की तारीख का उल्लेख सरफेसी में 08.07.2011 के रूप में किया गया था।

नोटिस करें। इस पीठ ने एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. नोटिस का अध्ययन किया है और निगम बैंक के एन. पी. ए. की तारीख का उल्लेख पृष्ठ पर 08.07.2011 के रूप में किया गया है। नहीं। 579. इसलिए निगमित ऋणदाता का यह तर्क

असफल हो जाता है। इसके अलावा आई. बी. संहिता की धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि चूक में वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है। न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार का बल्कि कॉर्पोरेट देनदार के किसी अन्य वित्तीय लेनदार का भी बकाया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के एन. पी. ए. की तिथि को स्वीकार करने के लिए

इस मामले में जवाब में याचिकाकर्ता पूरी तरह से संहिता की धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण के दायरे में आता है जो किसी अन्य वित्तीय लेनदार के कारण ऋण और ऋण चूक का प्रमाण है। इस याचिका को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर जवाब के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है।

7.1 . न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम के मामले में न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया। आईसीआईसीआई बैंकः 8) 1 एस. सी. सी. 407 संहिता की योजना और उसकी धारा 7 के संशोधनों के संबंध में और कहा गया,

“ 21 .... उद्धरणों की उपरोक्त पंक्तियों से जो तर्कसंगत और तर्क निकाला जा सकता है, वह स्पष्ट रूप से मुख्य रूप से दो पहलुओं को इंगित करता है।

और वह है ऋण का अस्तित्व और वह व्यतिक्रम जो वर्तमान में है

उपरोक्त उद्धरणों के शब्द। 22. उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ऋण बकाया है।

निगम ऋणदाता द्वारा निगम बैंक के पक्ष में और

बाद में उक्त बैंक द्वारा ऋणों के समनुदेशन पर

याचिकाकर्ता, कॉर्पोरेट देनदार याचिकाकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा आने के लिए पर्याप्त सबूत हैं निष्कर्ष कि निगमित देनदार भुगतान करने में चूक करता है

निगम बैंक को और उसके बाद समनुदेशक, याचिकाकर्ता को।

23. इस न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का, लेनदार द्वारा दायर दस्तावेजों के अवलोकन पर, यह विचार है कि कॉर्पोरेट देनदार ने चूक की [2020] 13 एस. सी. आर.

लिया गया ऋण चुकाने में और दिवालिया समाधान पेशेवर का नाम भी अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए रखा गया और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, इसलिए धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत आवेदन को इस प्रकार लिया जाता है

पूर्ण।

7.2 . तदनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने आवेदन को विचार के लिए स्वीकार कर लिया; स्थगन का आवश्यक आदेश पारित किया;

और अंतरिम समाधान पेशेवर को नियुक्त किया।

अपील में कार्यवाही का पिछला दौर

8. उपर्युक्त दिनांक 09.08.2018 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी, जो कॉर्पोरेट देनदार के पूर्व निदेशक थे, ने कंपनी अपील (ए. टी.) में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

(दिवाला) संहिता की धारा 61 के तहत 2018 का सं. 549, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार करने को चुनौती देता है।

8.1 . अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार दायर अपील पर विचार किया गया और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपने दिनांक 17.09.2018 के आदेश के माध्यम से संक्षेप में खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए इस तर्क पर ध्यान दिया कि 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत एक याचिका डी. आर. टी. के समक्ष लंबित थी जिसमें यह सवाल उठाया गया था कि क्या राशि समनुदेशिती को देय थी या नहीं। इस संबंध में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत को केवल 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत एक याचिका के लंबित रहने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है और संहिता की धारा 14 के संदर्भ में, ऐसे सभी लंबित मामले अधिस्थगन की अवधि के दौरान आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

8.2 . अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि कोई ऋण देय नहीं था। इस तर्क को नोटिस करने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा कि कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी या प्राप्त राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया था और इसलिए, कोई ऋण या चूक नहीं थी। जवाब में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस कारण से ऐसा कोई हलफनामा दायर करने में असमर्थता व्यक्त की कि कॉर्पोरेट देनदार ने वास्तव में बैंक/बैंकों से ऋण लिया था। इसके बाद

अपीलार्थी के इस रुख को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छा महसूस की और

इसलिए, निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए अपील को खारिज कर दिया गयाः

" 2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 'देय ऋणों की वसूली बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम' की धारा 19 के तहत एक याचिका।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

देनदार ने बैंक से ऋण लिया था। 5. अपीलार्थी द्वारा लिए गए उपरोक्त रुख को ध्यान में रखते हुए, हम 9 अगस्त, 2018 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। किसी भी योग्यता के अभाव में, अपील खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं। "

9. दिनांक 17.09.2018 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने सिविल अपील सं. 62 में संहिता की धारा 62 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

10710 2018 का, जिस पर विचार किया गया और दिनांकित 26.02.2019 आदेश के माध्यम से निर्णय लिया गया।

यह था कि प्रत्यर्थी के दावे को समय के साथ रोक दिया गया था, यह स्वीकार किया जाता है कि डिफ़ॉल्ट 08.07.2011 पर किया गया था, जबकि आवेदन मार्च, 2018 के महीने में दायर किया गया था। 9.2 . यह देखने के बाद कि सीमा से संबंधित प्रमुख मुद्दा, हालांकि अपीलार्थी द्वारा उठाया गया था, अपील द्वारा भी तय नहीं किया गया था

न्यायाधिकरण; और बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में निर्णय का उल्लेख करने के बाद। लिमिटेड वी. पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्सः ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 5601, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीमा अधिनियम संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन पर लागू होता है, इस न्यायालय ने आवेदन [2020] 13 एस. सी. आर. के संबंध में सीमा के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण को भेज दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 17.09.2018 के विवादित आदेश को दरकिनार करते हुए और पक्षों को अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में अतिरिक्त शपथ पत्र जमा करने की स्वतंत्रता देते हुए कानून के अनुसार प्रश्न में। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अवलोकन और आदेश दियाः

" हालाँकि, हम पाते हैं कि अपील ज्ञापन में व्यक्त आधार अस्पष्ट है, लेकिन, क्योंकि सीमा के बारे में आपत्ति मामले की जड़ तक जाती है और राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को छूती है।

कंपनी विधि न्यायाधिकरण के दावे के साथ आगे बढ़ने के लिए

उत्तरदाता; और बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद से। लि. बनाम। पारस गुप्ता एंड एसोसिएट्स-ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 5601 ने अभिनिर्धारित किया है कि सीमा का प्रश्न आई. एंड. की धारा 7 के तहत दायर आवेदनों पर भी लागू होता है। ख. संहिता, उक्त आपत्ति का कानून के अनुसार उचित रूप से उत्तर देना न्यायसंगत और आवश्यक होगा।

निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में न तो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और न ही राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने उक्त तर्क की जांच की है। वास्तव में, प्रत्यर्थी के अनुसार, दावे की याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया जाना अस्थिर है और इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित दस्तावेजों में प्रविष्टियों पर भरोसा किया है। हालाँकि, यह एक ऐसा मामला है जिसे सबसे पहले राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया जाना चाहिए।

तदनुसार, हम अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति पर नए सिरे से विचार करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों को खारिज करते हैं कि प्रतिवादी का दावा वर्जित है।

सीमा से। विवादित आदेश दिनांकित 14.05। 2019 एन. सी. एल. ए. टी.

रिमांड

10 . इस न्यायालय के दिनांक आई. डी. 1 के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने उक्त अपील को नए सिरे से विचार के लिए लिया और अपने दिनांक आई. डी. 2 के विवादित आदेश के माध्यम से इसे खारिज करने के लिए आगे बढ़े, जबकि यह अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है। 10.1 . दिनांक 14.05.2019 के विवादित आदेश के परिचयात्मक पैराग्राफ 1 से 4 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने विषय वस्तु बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम.

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपील के साथ-साथ कार्यवाही के पिछले दौर में पारित आदेशों; और पैराग्राफ 5 और 6 में, प्रतिद्वंद्वी विवादों पर ध्यान दिया गया। इसके बाद, पैराग्राफ 7 से 14 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लिए गए ऋणों और अचल संपत्तियों के बंधक के माध्यम से प्रतिभूतियों के निर्माण और व्यापार और संयंत्र और मशीनरी के स्टॉक के अनुमान सहित पृष्ठभूमि तथ्यों पर ध्यान दिया; प्रतिवादी नं। 2 ऋणदाता बैंक द्वारा; निगमित देनदार द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया ऋण; ऋण की देय राशि की वसूली के लिए 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत याचिका का लंबित होना; और कहा जाता है कि निगमित देनदार की ओर से प्रत्यर्थी सं. 2 एक बार के लिए समझौता 1 7।

10.1. 1 . आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 15 में, अपीलीय

न्यायाधिकरण ने बी. के. शैक्षिक सेवाओं (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के साथ-साथ संहिता की धारा 238-ए को यह नोटिस करने के लिए संदर्भित किया कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन पर सीमा का कानून लागू होता है। हालाँकि, पैराग्राफ 16 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह टिप्पणी की कि 'सूचना और प्रसारण संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के लिए, भाग 2 का अनुच्छेद 132 (अन्य आवेदन) लागू होता है' और सीमा अधिनियम के उक्त अनुच्छेद 132 को पुनः प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद, पैराग्राफ 17 से 19 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने क्रमशः मुकदमों, अपीलों और आवेदनों से निपटने के लिए सीमा अधिनियम और उसके प्रभागों की अनुसूची के ढांचे का उल्लेख किया। मामले के सार पर आते हुए, विवादित आदेश के पैराग्राफ 20 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने 'अन्य आवेदनों' से संबंधित अनुच्छेद 137 का उल्लेख इस प्रकार कियाः यह सीमा अधिनियम की अनुसूची के तीसरे खंड के भाग II में होता है और यह देखते हुए इसे पुनः प्रस्तुत किया गया है कि यह अनुच्छेद 137 संहिता की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत आवेदनों पर लागू होता है।

10.2 . उपरोक्त टिप्पणियों और तथ्यों और लागू कानून के अवलोकन के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 21 में

17 ' संक्षेप में ओटीएस।

18 अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 132 का ऐसा संदर्भ पूरी तरह से अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि यह इस न्यायालय में अपील करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन से संबंधित है और 60 की सीमा का प्रावधान करता है। डिक्री या आदेश की तारीख से दिन। जो भी हो, अनुच्छेद 132 के निष्कर्षण के साथ अवलोकन आकस्मिक पर्ची का विषय प्रतीत होता है और हम विवादित आदेश के उक्त पैराग्राफ 16 को केवल उसी पर छोड़ देंगे।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित आदेश ने अपने निष्कर्ष का पहला कारण बताया कि

विचाराधीन आवेदन इस तरह से सीमित नहीं है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने का अधिकार केवल 01.12.2016 पर प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार को प्राप्त हुआ जब संहिता अस्तित्व में आई। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा -

" 21. आई एंड बी कोड 1 दिसंबर, 2016 को अस्तित्व में आया है और उसके बाद केवल 1 दिसंबर, 2016 को आई एंड बी कोड की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थी 'वित्तीय लेनदार' को उपार्जित आवेदन करने का अधिकार है। वर्ष 2018 में आवेदन दायर करने के बाद, हम मानते हैं कि धारा 7 के तहत आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

10.3 . इसके बाद, पैराग्राफ 22 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनव उद्योगों में निर्णय से प्रासंगिक अंश निकाले

(ऊपर) जिसमें इस न्यायालय ने समझाया है कि आई. बी. सी. की योजना में सी. आई. आर. पी. कैसे शुरू किया जाता है; और निगमित ऋणदाता की ओर से "चूक" के अस्तित्व की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जिसके लिए और जिसके द्वारा एक वित्तीय लेनदार संहिता की धारा 7 के तहत कार्रवाई कर सकता है और साथ ही ऐसी कार्रवाई की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व भी, जिसमें 2016 के नियमों के अनुरूप आवेदन को स्थानांतरित करने का रूप और तरीका और इस सवाल पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक जांच शामिल है कि क्या चूक हुई है। फिर, विवादित आदेश के पैराग्राफ 23 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी ध्यान दिया कि

नवान्वेषी उद्योग, इस न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इस तरह के विचार के दौरान, निगमित देनदार को यह इंगित करने का अधिकार है कि चूक इस अर्थ में नहीं हुई है कि "ऋण" देय नहीं है; और यह कि ऋण "देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है"।

10.4 . इसके बाद, पैराग्राफ 24 में, अपीलीय न्यायाधिकरण, कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) में अपने स्वयं के निर्णय के संदर्भ में

2018 की संख्या 82: बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एन. आर. , यह मत व्यक्त किया गया कि संहिता मुकदमेबाजी से संबंधित नहीं है और न ही कार्यवाही मुकदमे या धन के मुकदमे की थी; और सीमा अधिनियम के प्रथम खंड में निर्धारित सीमा की अवधि संहिता के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। हालांकि, इसके बाद विवादित आदेश के पैराग्राफ 25 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि हालांकि सीमा अधिनियम की अनुसूची के प्रथम डिवीजन, द्वितीय डिवीजन और तृतीय डिवीजन के भाग I में निर्धारित सीमा कानून लागू नहीं होता है, लेकिन निगम

ऋणी एक याचिका ले सकता है कि "ऋण" देय नहीं है, क्योंकि यह कानून बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम में देय नहीं है।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया जाना। विवादित आदेश के ये पैराग्राफ 24 और 25 इस प्रकार हैं: -

" 24. 'बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एन. आर. ' कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. 82 2018 का यह

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि 'दिवाला और दिवालियापन संहिता' मुकदमेबाजी से संबंधित नहीं है और न ही यह एक मुकदमा या धन का मुकदमा है। उस पृष्ठभूमि में प्रथम खंड में निर्धारित सीमा की अवधि

आई एंड बी कोड कार्यवाही के माध्यम से लागू नहीं होता है।

25. यद्यपि हमने अभिनिर्धारित किया है कि मुकदमा दायर करने के लिए सीमा का कानून (प्रथम श्रेणी) या अपील (द्वितीय श्रेणी) या भाग I (तृतीय श्रेणी) के तहत आवेदन लागू नहीं हैं, 'निगमित देनदार' एक याचिका ले सकता है कि 'ऋण' देय नहीं है, क्योंकि यह कानून में देय नहीं है जो सीमा द्वारा वर्जित है।

10.5 . उपरोक्त टिप्पणियों के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने पैराग्राफ 26 में मामले में जांच किए जाने वाले प्रश्न का संकेत दिया और

उन्होंने आगामी पैराग्राफ में भी यही निर्णय लिया। विवादित आदेश के पैराग्राफ 27 और 28 में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्विवाद तथ्य का उल्लेख किया कि वित्तीय लेनदार ने पहले ही 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत एक याचिका दायर की थी जो लंबित थी; और यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने इस तथ्य को दबा दिया है कि 31.07.2018 पर, निगमित देनदार ने एक बार के निपटान के लिए वित्तीय लेनदार से संपर्क किया था। इन टिप्पणियों के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने इन तथ्यों का उल्लेख किया कि निगमित देनदार की नौ संपत्तियों को वित्तीय लेनदार के साथ गिरवी रखा गया था और वित्तीय लेनदार ने बंधक प्रतिभूति को लागू करने के लिए कार्यवाही को अपनाया था और डी. आर. टी. द्वारा पारित आदेश के अनुसार कब्जा बरामद किया था। इस प्रकार संदर्भित किया गया है अन्य कार्यवाहियों और विशेष रूप से बंधक प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अनुच्छेद 29 और 30 में सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 61 (बी) के अनुसार बंधक संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए बारह साल की सीमा अवधि का उल्लेख किया और निष्कर्ष निकाला कि संपत्ति को गिरवी रखा गया है, दावा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है क्योंकि बंधक संपत्ति के संबंध में सीमा की अवधि बारह साल है। इन विचारों, टिप्पणियों और निष्कर्षों ने अपीलीय न्यायाधिकरण को विवादित आदेश के पैराग्राफ 31 में यह निर्णय लेने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है। विवादित आदेश के ये अनुच्छेद 26 से 31 निम्नानुसार हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 26. वर्तमान मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या 'ऋण' कानूनी रूप से 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा देय नहीं है और/या 'चूक' को सीमा द्वारा वर्जित किया जा रहा है।

27. हमने देखा है कि तुरंत 'डिफ़ॉल्ट' होने पर, उत्तरदाता

नंबर 2-'वित्तीय लेनदार' पहले ही 'बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 की बकाया ऋणों की वसूली' की धारा 19 और 2017 की ओ. ए. संख्या 172 के तहत डी. आर. टी. के समक्ष पेश हो चुका है जो अभी भी लंबित है। इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है और दलील दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा।

28. अपीलार्थी ने इस तथ्य को दबा दिया है कि हाल ही में

27 जून, 2017 को प्रवर्तन के रूप में आपराधिक कार्यवाही जिसके बाद दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा कब्जा ले लिया गया था

29. सीमा अधिनियम का भाग 5 (प्रथम खंड) संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए 'अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमों' से संबंधित है। गिरवी रखा गया और बाद में एक मूल्यवान प्रतिफल के लिए गिरवीदार द्वारा हस्तांतरित किया गया। सीमा की अवधि 12 वर्ष है जब से स्थानांतरण वादी को ज्ञात हो जाता है [अनुच्छेद 61 (बी)]।

30. कानून की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, जिस संपत्ति को गिरवी रखा गया है, हम यह भी मानते हैं कि दावा सीमा द्वारा वर्जित नहीं है क्योंकि गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में सीमा की अवधि 12 वर्ष है और धारा 5 (8) के साथ पठित धारा 5 (7) के संदर्भ में क्योंकि संपत्ति गिरवी रखी गई है, प्रतिवादी संख्या 2 भी 'वित्तीय लेनदार' के अर्थ में आती है।

31. इसलिए, हम मानते हैं कि धारा 7 के तहत आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है और न ही प्रतिवादी संख्या 2 का दावा सीमा द्वारा वर्जित है। हम इस दलील को खारिज करते हैं कि कानून की नजर में 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा कोई 'ऋण' देय नहीं है। हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपील करें। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं "

11. यहाँ ऊपर जो देखा गया है, उसके लिए यह उचित हो सकता है

इस बात का उल्लेख किया कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम की बार की याचिका को खारिज कर दिया है।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अनिवार्य रूप से दो प्रमुख विचारों पर सीमाः एक, कि संहिता की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार को आवेदन करने का अधिकार केवल उस दिन प्राप्त हुआ जब संहिता लागू हुई थी और दूसरा, कि गिरवी रखी गई संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए सीमा की अवधि बारह वर्ष है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हालांकि अपीलीय न्यायाधिकरण ने 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत आवेदन के लंबित होने के साथ-साथ इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि निगमित देनदार ने इसके लिए अनुरोध किया था।

जुलाई, 2018 के महीने में ओ. टी. एस. ने इन कारकों के प्रभाव के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की व्यापक विशेषताएं

12. एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों पर जोर देते हुए और यह कहते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किया गया आवेदन सीमा द्वारा वर्जित है, निगमित देनदार के पूर्व निदेशक ने इस अपील को प्राथमिकता दी है जिसका आवेदक वित्तीय लेनदार (प्रत्यर्थी) द्वारा विधिवत विरोध किया गया है।

सं. 2) के साथ-साथ निगमित देनदार के लिए आई. आर. पी. (प्रत्यर्थी सं. 1)। प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की व्यापक विशेषताओं और सार को बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जा सकता है।

अपीलार्थी

13. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि दिनांक 14.05.2019 के विवादित आदेश में, NCLAT इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून को इस प्रभाव से लागू करने में विफल रहा है कि संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन के लिए, अनुच्छेद 137

13.1 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने बी. के. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में प्रस्तुतियों पर विस्तार से बताया है। शैक्षिक सेवा (ऊपर) और तर्क दिया है कि इसमें, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन पर लागू होता है और इसलिए, सीमा अवधि तीन साल की है, जिसे चूक की तारीख से गिना जाना है।

19 आक्षेपित आदेश का अनुच्छेद 21। 20 आक्षेपित आदेश के अनुच्छेद 29 और 30।

13.2 . संहिता और 2016 के नियमों द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया के संदर्भ में, जहां वित्तीय लेनदार को आवेदन में चूक की तारीख का उल्लेख करना आवश्यक है और चूक का सबूत भी प्रस्तुत करना आवश्यक है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि आवेदन में निम्नलिखित हैः विचार, जो 21.03.2018 पर दायर किया गया था, प्रतिवादी संख्या 2 ने चूक की तारीख का उल्लेख 08.07.2011 के रूप में किया और चूक के साक्ष्य के लिए, केवल एन. पी. ए. से संबंधित दस्तावेज संलग्न किए गए थे, यानी वर्ष 2011 तक। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा इस प्रकार दायर आवेदन स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित है और पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य है।

13.3 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे के. शशिधर बनाम में निर्णय का उल्लेख किया है। इंडियन ओवरसीज बैंकः 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 257 2 1 और प्रस्तुत किया है कि इसमें, इस न्यायालय ने इस स्थिति की पुष्टि की है कि संहिता के तहत मुकदमा करने का अधिकार उस तारीख को प्राप्त होता है जब चूक होती है और यदि चूक आवेदन दायर करने की तारीख से तीन साल पहले हुई थी, तो यह संहिता के तहत देय और देय ऋण के बराबर नहीं होगा। विद्वान वकील ने अभी तक आगे प्रस्तुत किया है कि 2018 की सिविल अपील संख्या 11020 मेंः वाशदेव आर. भोजवानी बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. 22 , जहाँ डिफ़ॉल्ट था

यह वर्ष 2001 में हुआ था जब वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया था और एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने माना था कि दावा समय-बाधित नहीं था क्योंकि कार्रवाई का कारण निरंतर था, इस न्यायालय ने माना है कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि दावा देय था और देय था, लेकिन इसे आई. बी. सी. के तहत लागू सीमा द्वारा वर्जित किया गया था। आगे बढ़ते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने 2019 की सिविल अपील संख्या 4952 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख किया हैः गौरव हरगोविंदभाई डेव बनाम। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और Anr.2³ 23 यह प्रस्तुत करने के लिए कि इसमें, यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि IBC की धारा 7 के तहत आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के दायरे में आएगा और तीन साल का समय शुरू होता है चूक की तारीख से चलाएँ और समयबद्ध ऋणों को कोई नया जीवन नहीं दिया जाएगा। विद्वान वरिष्ठ वकील ने कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. में एन. सी. एल. ए. टी. दिनांक 02.05.2019 के आदेश का भी उल्लेख किया है।

655 2018 का, जिसे गौरव हरगोविंदभाई दवे (ऊपर) में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, यह इंगित करने के लिए कि एन. सी. एल. ए. टी. ने लिया था

21 अब (2019) में रिपोर्ट किया गया 12 एस. सी. सी. 150 22 अब (2019) में रिपोर्ट किया गया 9 एस. सी. सी. 158 2 3 अब (2019) में रिपोर्ट किया गया 10 एस. सी. सी. 572 बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन को सीमा के भीतर होना चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा वित्तीय लेनदार को दिए गए ओ. टी. एस. प्रस्ताव और यहां तक कि यह प्रस्ताव भी इस न्यायालय की मंजूरी के साथ पूरा नहीं हुआ था। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि वाशदेव R.Bhojwani (ऊपर) में, इस न्यायालय ने चूक की तारीख को वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के रूप में लिया है और गौरव हरगोविंदबाई दवे (ऊपर) में, इस न्यायालय ने एन. पी. ए. की तारीख को चूक की तारीख के रूप में लिया है; और इस न्यायालय ने चूक की तारीख को वह माना है जब ऋण देय हो गया था और आई. बी. सी. की धारा 3 (12) के अनुसार सख्ती से देय था, जिसके तहत चूक का अर्थ है 'ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा देय और देय हो गया है और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।

13.4 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपनाए गए तर्क इससे पूरी तरह से अस्वीकृत हैं।

उपरोक्त निर्णयों में न्यायालय-जिसे 2019 की सिविल अपील संख्या 7673 में भी संदर्भित किया गया हैः सागर शर्मा और अन्न। वी. फीनिक्स आर्क प्रा. लिमिटेड और ए. एन. आर. 24 और इसलिए, आक्षेपित क्रम को किसी भी कोण से कायम नहीं रखा जा सकता है।

भारत संघ और एएनआर। : 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1254 2,5 और प्रस्तुत किया है कि इसमें भी, इस न्यायालय ने परिसमापन के आवेदनों को स्थानांतरित करने के लिए सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता का विस्तार से विश्लेषण किया है। एन. सी. एल. टी. ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 2016 में आई. बी. सी. के प्रवर्तन से समयबद्ध ऋणों को नया जीवन नहीं मिलेगा और यदि आवेदन चूक की तारीख से तीन साल से अधिक समय के बाद दायर किया जाता है, तो समय के साथ उस पर रोक लगा दी जाएगी।

13.6 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि बैलेंस शीट में दिखाया गया ऋण तीन साल की सीमा अवधि को पुनर्जीवित नहीं करता है

जैसा कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत आई. बी. सी. पर लागू होता है, इन कारणों से कि बैलेंस शीट में दिखाया गया ऋण सीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत नहीं आता है; और अन्यथा भी, सीमा अधिनियम की धारा 18 आई. बी. सी. के लिए प्रासंगिक "चूक" को पुनर्जीवित नहीं कर सकती है और केवल कार्रवाई के कारण के संबंध में सीमा को पुनर्जीवित कर सकती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इन दलीलों पर जोर दिया है कि सीमा अधिनियम की धारा 18 कुछ मामलों में सीमा को पुनर्जीवित कर सकती है लेकिन हर मामले में नहीं।

उपचार जो अलग और विशिष्ट हो; और जब की सीमा अवधि

24 अब (2019) 10 एस. सी. सी. 353 25 में रिपोर्ट किया गया अब (2019) 10 एस. सी. सी. 750 [2020] 13 एस. सी. आर. में रिपोर्ट किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत तीन साल

संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन, चूक की तारीख से शुरू होता है, बैलेंस शीट में ऋण की स्वीकृति चूक की कोई नई तारीख नहीं देगी क्योंकि चूक केवल एक बार होती है और इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने गलत किया है

ओ. टी. एस. के लिए कथित प्रस्ताव पर भरोसा किया जो कभी भी एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर नहीं किया गया था और इसमें अपीलार्थी द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया था; और किसी भी मामले में, ओटीएस के लिए प्रस्ताव, यदि 31.07.2018 पर किया जाता है, तो 08.07.2011 पर एनपीए की घोषणा के अनुसार चूक की तारीख को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है और न ही यह सीमा अधिनियम की धारा 18 को आकर्षित करता है।

13.7 . प्रासंगिक विचारों और दृष्टिकोण के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है,

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. में निर्णय का अनुच्छेद 64। वी. भारत संघ और ओआरएस। : (2019) 4 एस. सी. सी. 17, कि विधायी नीति "कार्रवाई के कारण" से "चूक" के निर्धारण की ओर बढ़ गई है और वर्तमान मामले में, चूक तब हुई जब खाता एन. पी. ए. बन गया जैसा कि 08.07.2011 पर है, आवेदन सीमा द्वारा वर्जित रहता है।

प्रत्यर्थी संख्या 2

14. इसके विपरीत, वित्तीय लेनदार (प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि यह अपील सारहीन है और योग्यता के साथ-साथ अपीलार्थी के आचरण पर भी खारिज की जा सकती है।

14.1 . विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना होगा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को देय निगमित देनदार का ऋण न तो दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा विवादित और न ही अस्वीकार किया गया; बल्कि यह अपील ज्ञापन (कागजी-पुस्तक का पृष्ठ 36) में आधार पी में कहा गया है कि निगमित देनदार प्रतिवादी संख्या 2 के साथ एक बार के निपटान में बकाया ऋण की राशि का निपटान करने के लिए हमेशा तैयार है और रहा है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी की ओर से विवाद करने का देर से प्रयास

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी ओ. टी. एस. पत्र आधारहीन और भ्रामक है क्योंकि इस न्यायालय में अपील के इस दूसरे दौर में पहली बार इस तरह का विवाद उठाया गया है। और यह कि अपीलार्थी गुमराह करने के अपने प्रयासों में झूठी दलीलें लेने और झूठी गवाही देने का दोषी है।

14.2 . अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन केवल डिफ़ॉल्ट बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम की प्रारंभिक तिथि के कारण सीमा द्वारा वर्जित नहीं है।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इसमें 08.07.2011 के रूप में उल्लेख किया गया है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेगा कि अपीलार्थी की ओर से दलीलें अस्थिर हैं क्योंकि विचाराधीन ऋण को कानूनी रूप से और स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2011 से 2017 तक कंपनी पंजीयक के समक्ष वार्षिक विवरणी के साथ दायर अपनी तुलनपत्र में देय और लिखित रूप में देय माना गया था। और ऋण को निगम बैंक को बकाया ऋण राशि के रूप में दिखाया गया था, जिसने इसे प्रतिवादी संख्या 2 को सौंपा था।

ऋण और ऋण और वार्षिक रिटर्न का हिस्सा बनना, वास्तव में इसके लिए निगमित देनदार की स्वीकृति का गठन करता है। ऋणग्रस्तता। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, वर्ष 2011 से लगातार और वर्ष 2017 तक, बैलेंस शीट और वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा देय और देय होने के लिए स्वीकार की गई ऋण राशि साक्ष्य का एक स्वीकृत तथ्य बन जाती है और इस तरह, सीमा की अवधि को सीमा अधिनियम की धारा 18 की प्रयोज्यता के आधार पर बढ़ाया जाता है।

14.4 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने इन दलीलों पर फिर से जोर दिया है कि अपीलार्थी के सुझाव, कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत सीमा अवधि का कोई विस्तार संहिता में अनुमत नहीं है क्योंकि चूक की तारीख पवित्र है और उस तारीख से केवल तीन साल की अवधि अनुमत है, कानून में असमर्थनीय है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस तरह का आवेदन दायर करने के समय, संहिता में किसी भी निर्धारित अवधि की सीमा का कोई प्रावधान नहीं था और न ही कोई अनिवार्य कानूनी प्रावधान था।

आवेदन प्रपत्र में यह बताने की आवश्यकता कि दावा कैसे सीमा के भीतर था और न ही इसका कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोई वैधानिक आवश्यकता थी और इसलिए, धारा 7 आवेदन के रूप में

26 इसके बाद इसे 'कंपनी अधिनियम' भी कहा जाता है।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा तैयार किया गया और दायर किया गया था जो सीमा की अवधि के भीतर था।

14.5 . जहां तक संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन पर सीमा कानून को लागू करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण का संबंध है, विद्वान

वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि संहिता में सीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने वाला संशोधन 06.06.2018 से प्रभावी हुआ, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आवेदन दायर करने के बाद ही; और एक पोस्ट फैक्टो लागू वैधानिक प्रावधान का परीक्षण करना कठोर तरीके से पूर्वव्यापी प्रकृति के परिणामस्वरूप इक्विटी में एक घातक दोष होगा और यह कई अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्तमान में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में केवल तकनीकीता पर कानूनी सहारा लेने पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो अतीत में अप्रत्याशित और अकल्पनीय था और इसलिए, सीमा अवधि के विस्तार के लिए मामला बनाने वाले दस्तावेज दायर नहीं किए जा सके। दूसरी ओर, विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थी की ओर से सुझाए गए विसंगत तरीके से संहिता की धारा 238-ए की अनियंत्रित प्रयोज्यता सभी वित्तीय संस्थानों को तुरंत आगे बढ़ने और तीन साल की समाप्ति से पहले धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के लिए मजबूर करेगी।

सीमा अवधि का विस्तार। विद्वान वकील ने N.Balakrishnan v में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। कृष्णमूर्तिः (1998) 7 एस. सी. सी. 123 यह प्रस्तुत करने के लिए कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं।

14.6 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसलिए प्रस्तुत किया है कि संहिता की धारा 7 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन के रूप में वित्तीय लेनदार निर्धारित सीमा अवधि के भीतर है और सीमा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करके कानूनी रूप से विस्तारित किया गया है। इस प्रकार, विद्वान वकील के अनुसार, आवेदन को एन. सी. एल. टी. द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया है और वर्तमान अपील खारिज की जानी चाहिए।

उत्तरदाता संख्या 1

15. आई. आर. पी. (प्रतिवादी संख्या 1) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कमोबेश इसी तर्ज पर तर्क दिया है और प्रस्तुत किया है कि विचाराधीन आवेदन संहिता और सीमा अधिनियम के लागू प्रावधानों के आलोक में जांच करने पर सीमा की अवधि के भीतर है।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

15.1 . विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन इन कारणों से सीमित रहता हैः (क) कि ऋण की देनदारी लंबे समय से है और इसे वित्तीय वर्षों के लिए निगमित देनदार की बैलेंस शीट में दर्ज किया गया है 2011-12,2012-13,2013-14,2014-15,2015-16 और 2016-17; (ख) दिनांकित पत्र के माध्यम से 31.07.2018, निगमित देनदार की ओर से ओटीएस के लिए अनुरोध किया गया था; और (ग) ओ. ए. सं. 172/2013 निर्धारित समय अवधि के भीतर डी. आर. टी. के समक्ष दाखिल किया गया था और यह अभी भी लंबित है। यह तर्क दिया गया है कि इन निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय लेनदार के दावे को मृत या बासी दावा नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, सीमा द्वारा वर्जित नहीं है, विशेष रूप से जब वित्तीय लेनदार इसके लिए उपलब्ध एक अन्य नागरिक उपचार का लाभ उठा रहा है और उसने 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत आवेदन दायर किया था।

15.2 . विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि एन. सी. एल. ए. टी. का विवादित आदेश तथ्यों पर सही है और इरादे के अनुरूप है।

और इस न्यायालय द्वारा B.K.Educational सेवाओं (ऊपर) में निर्धारित कानून की भावना कि लेनदार का दावा मृत या बासी दावा नहीं होना चाहिए। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि केवल चूक की तारीख या एन. पी. ए. के रूप में खाते के वर्गीकरण की तारीख वित्तीय लेनदार के लिए उपलब्ध 'आगे की कार्रवाई के कारण' या 'कार्रवाई के निरंतर कारण' पर पूर्ण विराम नहीं लगाती है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि कानून के तय किए गए सिद्धांत पर, क़ानून की व्याख्या हमेशा अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने और विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए होनी चाहिए; और यदि, तर्कों के लिए, अपीलार्थी का तर्क स्वीकार किया जाता है कि आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक आवेदन एन. पी. ए. की तारीख से केवल तीन साल के भीतर दायर किया जा सकता है, तो यह आई. बी. सी. के दबाव वाली संपत्तियों के पुनर्गठन और तनावग्रस्त संपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर देगा।

15.3 . विद्वान वकील ने फिर से सीमा अधिनियम की धारा 18 और जिग्नेश शाह में उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा किया है और महावीर कोल्ड स्टोरेज ने यह प्रस्तुत करने के लिए कि अपीलार्थी का यह तर्क कि 2011 में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और उक्त वर्ष में मुकदमा करने का अधिकार शुरू हो गया, आधारहीन है, क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार ने वर्ष 2017 तक अपनी लेखा परीक्षित बैलेंस शीट में लगातार अपनी देनदारी स्वीकार की थी और आगे ओ. टी. एस. के लिए एक प्रस्ताव के साथ अपनी देनदारी स्वीकार की थी। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, यह तर्क कि ऋण सीमा द्वारा वर्जित है, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में नहीं लिया जा सकता है, इसके अलावा इस तरह का तर्क निर्विवाद तथ्यों और दायित्व की स्वीकृति के विपरीत है।

15.4 . प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान वकील ने एन. सी. एल. टी. द्वारा स्वीकार किए जाने के आदेश के अनुसार इस मामले में पहले से की गई कार्यवाही का भी उल्लेख करने का प्रयास किया है, जिसमें सी. ओ. सी. की बैठकें और प्रस्ताव शामिल हैं। और इसके परिणामस्वरूप आई. आर. पी. द्वारा इस अपील में अंतरिम आदेश पारित करने से पहले निगमित देनदार के परिसमापन के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन भेजना। 16. ऊपर जो देखा गया है, उसके आसवन में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आवेदन पर सीमा कानून के लागू होने पर मूल बातों पर विवाद नहीं करते हुए, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का मुख्य मुद्दा यह रहा है कि सीमा अधिनियम की धारा 18 की लागू होने की क्षमता, जो उस पक्ष द्वारा स्वीकृति देने पर सीमा की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान करती है, जिसके खिलाफ अधिकार का दावा किया जाता है, उसे हटा नहीं लिया जाता है और इस तरह की स्वीकृति (दायित्व की) के लिए कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बैलेंस शीट और वार्षिक रिपोर्ट में लगातार और लगातार किए जाने के साथ-साथ ओटीएस के लिए अपने प्रस्ताव में भी, सीमा की नई अवधि ऐसी प्रत्येक स्वीकृति की तारीख से उपलब्ध होगी। इसलिए, सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत "स्वीकृति" से संबंधित सिद्धांतों पर भारी निर्भरता के साथ, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील इस बात पर जोर देंगे कि विचाराधीन आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है। दूसरी ओर, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों की गंभीरता यह रही है कि संहिता की योजना और इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए, विचाराधीन आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है; कि उसमें निर्धारित तीन साल की अवधि चूक की तारीख से शुरू होती है; और तुलनपत्र या वार्षिक रिपोर्ट में ऋण की स्वीकृति कोई नई अवधि की सीमा नहीं देती है क्योंकि चूक केवल एक बार होती है और आवेदन करने का निरंतर अधिकार प्रदान नहीं करती है।

16.1 . उपरोक्त के अलावा, जैसा कि देखा गया है, अपीलीय न्यायाधिकरण ने विभिन्न कारणों से उत्तरदाताओं के पक्ष में निष्कर्ष निकाला है। ,

कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने का अधिकार केवल उस समय अर्जित किया गया जब संहिता लागू हुई थी और इसलिए, वर्ष 2018 में वित्तीय लेनदार द्वारा दायर आवेदन पर सीमा द्वारा रोक नहीं है और यह कि बंधक संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए सीमा की अवधि बारह वर्ष है और इसलिए, दावा निम्नलिखित द्वारा वर्जित नहीं है -

सीमा।

संहिता और सीमा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

17. मुख्य मुद्दे के निर्धारण के लिए कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कोड बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम की धारा 7 के तहत आवेदन किया गया है।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सीमा के भीतर है और संबंधित विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए तर्कों से निपटने के लिए, सबसे पहले दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और सीमा अधिनियम, 1963 में प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा।

17.1 . दिवाला में आम तौर पर उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियाँ और

दिवालियापन संहिता, 2016 को इसकी धारा 3 में परिभाषित किया गया है। प्रासंगिक

संहिता की धारा 3 में आने वाली परिभाषाएँ इस प्रकार हैं: -

" 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है, -

*

***

****

****

(6) " दावा "का अर्थ है

(क) भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार घटाया गया हो या नहीं

निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या

असुरक्षित;

(ख) किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार

अपरिपक्व, विवादित, निर्विवाद, सुरक्षित या असुरक्षित;
(8) " निगमित देनदार "से एक निगमित व्यक्ति अभिप्रेत है जो

किसी भी व्यक्ति के लिए ऋण;
****

****

*

***

इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार शामिल है। लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री धारक;

(11) " "ऋण" का अर्थ है किसी दावे के संबंध में दायित्व या दायित्व।

जो किसी भी व्यक्ति से देय है और जिसमें वित्तीय ऋण शामिल है और परिचालन ऋण;

(12) " "चूक" का अर्थ है पूर्ण या किसी भी ऋण का भुगतान न करना।

ऋण की राशि का कुछ हिस्सा या किश्त देय हो गया है और देय है और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा [भुगतान] नहीं किया जाता है,

जैसा भी मामला हो;

****

****

*

***

27 कोष्ठक में अभिव्यक्ति को 2018 के संशोधन अधिनियम संख्या 26 द्वारा 06.06.2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ "चुकाया" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(30) : " सुरक्षित लेनदार "का अर्थ है किसके पक्ष में लेनदार

सुरक्षा हित बनाया जाता है;

****

******

****

17.2 . संहिता का भाग II दिवाला समाधान से संबंधित है और

निगमित व्यक्तियों की नियुक्ति और धारा 4 में निर्दिष्ट इस भाग के अनुप्रयोग की सीमा जो निम्नानुसार हैः

" 4. इस भाग का अनुप्रयोग। - (1) यह भाग मामलों पर लागू होगा।

निगमित देनदारियों की दिवालियापन और परिसमापन से संबंधित जहां

बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है उच्च मूल्य की चूक की न्यूनतम राशि जो नहीं होगी

एक करोड़ रुपये से अधिक।

17.3 . संहिता के भाग II में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया है।

सी. टी. एन. 5। प्रासंगिक परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:

" 5. परिभाषाएँ। इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

****

***

****

(6) " "विवाद" में संबंधित मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है।

को।

(क) ऋण की राशि का अस्तित्व;

((ख) वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता; या (ग) प्रतिनिधित्व या वारंटी का उल्लंघन;

(7) : " "वित्तीय लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे वित्तीय

ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण दिया गया है। कानूनी रूप से सौंपा या स्थानांतरित किया गया;

******

****

****

17.4 . सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से संबंधित प्रावधान, जिनके साथ हम

इस मामले में मुख्य रूप से संबंधित, धारा 7 में निहित हैं

और नीचे के रूप में पढ़ेः

" 7. निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

वित्तीय लेनदार द्वारा। - (1) एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं

या [अन्य वित्तीय लेनदारों, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से

वित्तीय लेनदार की ओर से, जैसा कि केंद्रीय अबुलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सरकार,] 28 निगमित शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकती है

एक निगमित देनदार के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण जब कोई चूक हुई हो।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एक डिफ़ॉल्ट

इसमें न केवल आवेदक वित्तीय लेनदार बल्कि किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

निगमित ऋणी का।

(2) वित्तीय लेनदार उप के तहत आवेदन करेगा।

धारा (1) ऐसे रूप और तरीके से और इसके साथ-साथ

शुल्क जो निर्धारित किया जाए। (3) वित्तीय लेनदार आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

(क) सूचना उपयोगिता के साथ दर्ज किए गए डिफ़ॉल्ट का रिकॉर्ड या

ऐसा अन्य अभिलेख या चूक का साक्ष्य जो निर्दिष्ट किया जाए; (ख) एक के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्तावित समाधान पेशेवर का नाम

अंतरिम समाधान पेशेवर; और

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, उप-धारा (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर चूक के अस्तित्व का पता लगाएगा। उप-धारा (3) के तहत।

(5) जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का समाधान होता है कि

(क) चूक हुई है और उप-धारा (2) के तहत आवेदन पूरा हो गया है, और प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकता है; या (ख) चूक नहीं हुई है या उप-धारा (2) के तहत आवेदन अधूरा है या प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता हैः

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अस्वीकार करने से पहले

उप-धारा (5) के खंड (बी) के तहत आवेदन, एक नोटिस दें

कोष्ठक में अभिव्यक्तियों को "अन्य वित्तीय लेनदारों" के लिए 2018 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा 06.06.2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए। (6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

उप-धारा (5) के तहत आवेदन के प्रवेश की तारीख से शुरू करें। (7) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण सूचित करेगा

(क) उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन वित्तीय

लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार; (ख) वित्तीय लेनदार को उप-धारा (5) के खंड (ख) के तहत आदेश, ऐसे ऋण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के सात दिनों के भीतर

आवेदन, जैसा भी मामला हो "।

17.5 . धारा 238-ए, संहिता में संशोधन आई. ओ. द्वारा अंतःस्थापित की गई। 26 2018 का, 06.06.2018 से प्रभावी माना जाता है। धारा 238-ए, वर्तमान उद्देश्य के लिए सीधे प्रासंगिक होने के कारण, उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 238 - ए. सीमा। - सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे।

न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो "।

17.6 . सीमा अधिनियम की धारा 18, दायित्व की स्वीकृति पर सीमा की अवधि के विस्तार का प्रावधान करती है, जो दृढ़ता से है

उत्तरदाताओं के अनुसार, मैं नीचे पढ़ता हूंः

" 18. लिखित रूप में स्वीकृति का प्रभाव।

(1) जहाँ, निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले

किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में वाद या आवेदन,

ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति

उस पक्ष द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित किया गया है जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया गया है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपना शीर्षक या दायित्व प्राप्त करता है, उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब पावती पर इस तरह से हस्ताक्षर किए गए थे।

(2) जहां पावती वाला लेखन दिनांकित नहीं है, वहां उस समय का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे; लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1) के प्रावधानों के अधीन।

1872) , इसकी सामग्री का मौखिक साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

एक स्वीकृति पर्याप्त हो सकती है हालांकि यह छोड़ देता है

(अ)

संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति निर्दिष्ट करें, या इस बात से इनकार करें कि भुगतान, वितरण, प्रदर्शन या आनंद का समय अभी तक नहीं आया है या इसके साथ भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया है, या इसे बंद करने के दावे के साथ जोड़ा गया है, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया गया है;

"हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है या तो व्यक्तिगत रूप से या द्वारा हस्ताक्षरित

(ख)

इस संबंध में विधिवत अधिकृत अभिकर्ता; और

डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए एक आवेदन

((ग)

के संबंध में एक आवेदन नहीं माना जाएगा

कोई भी संपत्ति या अधिकार।

17.7 . आवेदन के लिए सीमा की अवधि के संबंध में

प्रश्न, अनुच्छेद 137, जैसा कि सीमा अधिनियम की अनुसूची के तीसरे खंड के भाग II में निहित है (उन आवेदनों से संबंधित जिनके लिए अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है), का इस मामले में असर होगा और इस पर 9 के तहत ध्यान दिया जा सकता है।

29 यह उपयोगी रूप से देखा जा सकता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 61 (बी) का उल्लेख किया है जो बंधक पर मुकदमों से संबंधित है। जैसा कि बाद में देखा जाएगा, ऐसा संदर्भ किसी भी दृष्टिकोण से मुद्दे में फिट नहीं बैठता है। तथापि, हम सीमा के अनुच्छेद 61 (ख) और 62 को केवल संदर्भ के लिए निकाल सकते हैं, जो निम्नानुसार हैः

" भाग 5-अचल संपत्ति से संबंधित मामले।

" सूट का विवरण

जिस समय से

अवधि शुरू होती है

	सीमा की अवधि
	दौड़ें।
	बारह वर्ष
61. एक बंधक द्वारा	
	जब स्थानांतरण
ज्ञात हो जाता है	
	वादी को।
*** *** *** ***	
और बाद में द्वारा स्थानांतरित किया गया	किसी मूल्यवान वस्तु के लिए बंधक
विचार करें।	
62.धन का भुगतान लागू करने के लिए	
	जब पैसे के लिए
मुकदमा किया गया	
	बारह वर्ष
बंधक द्वारा सुरक्षित या	
	देय हो जाता है।
"	
अन्यथा आरोपित किया जाता है	अचल संपत्ति [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" आवेदन की सीमा अवधि का विवरण

जिस

समय से

अवधि

शुरू होती है

दौड़ें।

जब

सही

137. कोई अन्य आवेदन।

तीन साल

जिसके लिए कोई अवधि नहीं

आवेदन करें

को

सीमा प्रदान की गई है

जमा

होता है "।

इस प्रभाग में कहीं और

दिवाला और दिवालियापन की प्रासंगिक मूल बातें

कोड, 2016

18. अब, इस न्यायालय की व्याख्याओं पर एक संक्षिप्त अंतर्दृष्टि

आई. बी. सी. के प्रावधानों के कारण, उद्देश्य, अर्थ और प्रभाव और परिवर्तन इसके द्वारा तत्कालीन मौजूदा कानून में लाया गया, विशेष रूप से वे जो प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, उपयोगी होंगे।

18.1 . जैसा कि प्रस्तावना से देखा गया है, संहिता को अधिनियमित किया गया

निगमित व्यक्तियों और यहां तक कि साझेदारी फर्मों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना और एक समयबद्ध तरीके से व्यक्ति; अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे

व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन के लिए उद्देश्य। 30

18.2 . सबसे शुरुआती फैसलों में से एक, जिस पर इस न्यायालय ने विचार किया

आई. बी. सी. के प्रावधान इस अधिनियम के लिए कारण और कानून में एक प्रतिमान बदलाव की व्याख्या करते हुए पर्याप्त विस्तार से अभिनव उद्योगों (उपरोक्त) के मामले में थे जो 31.08.2017 पर तय किए गए थे। इसमें, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि संहिता के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक भारत में दिवाला कानून को एक एकीकृत छत्र के तहत लाना है जिसका उद्देश्य दिवाला प्रक्रिया में तेजी लाना है।

18.2. 1 . अभिनव उद्योगों के मामले में, यह न्यायालय था

अनिवार्य रूप से इस सवाल से चिंतित है कि क्या आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही को रोका जा सकता है जहां महाराष्ट्र राहत उपक्रमों (विशेष) के तहत संबंधित कंपनी के लिए स्थगन था। प्रावधान) अधिनियम, 1958। अन्य पहलुओं के अलावा, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 238 में निहित अबाधित खंड के संदर्भ में फैसला सुनाया कि यह संसदीय अधिनियम होने के कारण राज्य अधिनियम के सीमित अबाधित खंड पर प्रबल होगा; और इस प्रकार,

30 जैसाकि एहि न्यायालय द्वारा दीवानी अपील सं. 8512-8527 2019 आदि। : अनुज जैन बनाम। एक्सिस बैंक लिमिटेड और अन्य। , 26.02.2020 पर निर्णय लिया।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

महाराष्ट्र अधिनियम संहिता 3 1 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता है। प्रासंगिक प्रावधानों की व्यापक जांच के दौरान, इस न्यायालय ने संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की योजना का भी विश्लेषण किया और

वित्तीय लेनदार द्वारा इस तरह के सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के संबंध में, निम्नानुसार खुलासा किया गया हैः -

" 27. संहिता की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जब कोई चूक होती है, तो इस अर्थ में कि ऋण देय हो जाता है और

भुगतान नहीं होने पर दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पूर्वनिर्धारित

धारा 3 (12) में इसे बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि एक बार देय और देय होने के बाद ऋण का भुगतान न करना, जिसमें उसके हिस्से का भुगतान न करना या किश्त राशि शामिल है। "ऋण" के अर्थ के लिए, हमें धारा 3 (11) पर जाना होगा, जो बदले में हमें बताती है कि ऋण का अर्थ है "दावे" के संबंध में दायित्व का दायित्व और "दावे" के अर्थ के लिए, हमें धारा 3 (6) पर वापस जाना होगा जो "दावे" को भुगतान के अधिकार के रूप में परिभाषित करता है।

भले ही यह विवादित हो। कोड उसी क्षण चालू हो जाता है चूक एक लाख रुपये या उससे अधिक की है (धारा 4)। द.

वस्तु या सेवाएँ।

28. जब प्रक्रिया को गति देने वाले वित्तीय लेनदार की बात आती है,

धारा 7 प्रासंगिक हो जाती है। खंड के स्पष्टीकरण के तहत

7 (1) , एक चूक कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में है-यह बकाया ऋण होने की आवश्यकता नहीं है

31 संहिता की धारा 238 निम्नानुसार हैः -

238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान। इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या ऐसे किसी कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदक वित्तीय लेनदार। धारा 7 (2) के तहत, एक आवेदन

उप-धारा (1) के तहत ऐसे रूप और तरीके से बनाया जाना है जो

निर्धारित, जो हमें दिवाला और दिवालियापन की ओर ले जाता है

(न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2016। नियम के तहत

4 , आवेदन फॉर्म 1 में एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया जाता है।

5 भागों में एक विस्तृत रूप है, जिसके लिए विवरण की आवश्यकता होती है भाग I में आवेदक, भाग II में निगमित देनदार का विवरण,

आंशिक रूप से प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर का विवरण

III, भाग IV में वित्तीय ऋण का विवरण और दस्तावेज,

भाग 5 में चूक के अभिलेख और साक्ष्य नियम 4 (3) के तहत,

आवेदक के साथ दायर आवेदन की एक प्रति भेजना है

पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्राधिकरण को निर्णय देना

निगमित देनदार का पंजीकृत कार्यालय। गति, जिसके भीतर

वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत किया जाना महत्वपूर्ण है। यह करना ही होगा। आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर। यह मंच पर है

धारा 7 (5), जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी होना है

संतुष्ट है कि एक डिफ़ॉल्ट हुआ है, कि निगम

ऋणी को यह इंगित करने का अधिकार है कि कोई चूक नहीं हुई है

इस अर्थ में कि "ऋण", जिसमें एक भी शामिल हो सकता है

विवादित दावा देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह नहीं है

कानून में या वास्तव में देय। वह क्षण जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

संतुष्ट है कि एक डिफ़ॉल्ट हुआ है, आवेदन होना चाहिए

स्वीकार किया जाता है जब तक कि यह अधूरा न हो, इस मामले में वह नोटिस दे सकता है

आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दोष को सुधारने के लिए आवेदक को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से सूचना। उप-धारा (7) के तहत,

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तब पारित आदेश को सूचित करेगा

वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार 7 दिनों के भीतर

यथास्थिति, ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

18.3 . दूसरा निर्णय जिसमें इस न्यायालय ने फिर से पारित किया

संहिता की आधारिक पृष्ठभूमि और योजना के कारण ऐसा हुआ था

स्विस रिबन (ऊपर) में इसके विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के लिए प्रतिशोध, 25.01.2019 पर निर्णय लिया गया।

18.3. 1 . स्विस रिबन में, संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए

ग, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कानून की पूर्व-विद्यमान स्थिति के बारे में भी ध्यान दिया- अबुलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम।

निगमित देनदार का निर्धारण, जहां परिसमापन का अंतिम उपाय के रूप में लाभ उठाया जाना है, इस न्यायालय ने बताया कि अपनी योजना और ई-वर्क पर, संहिता निगमित को रखने के लिए एक लाभकारी कानून था।या अपने पैरों पर, और लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून नहीं। अदालत ने कहा -

" 27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक संहिता।

कर्जदार। जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण

यह कि वे कुशलता से चल रही चिंताओं के रूप में संचालित होते हैं, संहिता का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बदले में उद्यमिता को बढ़ावा देगा क्योंकि निगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कब,

इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। सबसे बढ़कर, अंत में, सभी हितधारकों के हितों की देखभाल की जाती है क्योंकि निगमित देनदार स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है-श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, ऋणदाताओं को लंबे समय में पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो लाल रंग में है, एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा, समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा

ऋण बाजारों का विकास। चूंकि अधिक निवेश किया जा सकता है

अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से किया गया व्यवसाय तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाता है यदि या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं। परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है। (आर्सेलर मित्तल 3 2 को पैरा 83, एफएन 3 पर देखें।

लोर मित्तल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्यः

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि का प्राथमिक ध्यान कानून पुनरुत्थान और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए है

कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा कर देता है, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून। के हितों

इसलिए निगमित देनदार को विभाजित और अलग कर दिया गया है।

इसके प्रवर्तकों से/जो प्रबंधन में हैं। इस प्रकार,

समाधान प्रक्रिया निगम के लिए प्रतिकूल नहीं है।

ऋणी लेकिन, वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करता है। अधिस्थगन

धारा 14 द्वारा अधिरोपित निगमित देनदार के हित में है।

स्वयं, इस प्रकार कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण

समाधान प्रक्रिया। समय सीमा जिसके भीतर समाधान किया जाता है

प्रक्रिया फिर से होनी है जो कॉर्पोरेट देनदार की सुरक्षा करती है

परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से रोकता है, और इसके सभी लेनदारों की भी रक्षा करता है और

श्रमिकों को यह देखकर कि समाधान प्रक्रिया के रूप में जाता है

जितनी जल्दी हो सके, ताकि कोई अन्य प्रबंधन इसके माध्यम से

उद्यमशीलता कौशल, प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करें

इन सब का अंत होता है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

18.3. 2 . स्विस रिबन में, इस न्यायालय ने फिर से समझाया

आरंभ करने से संबंधित प्रावधानों की रूपरेखा भी

वित्तीय लेनदार द्वारा निम्नलिखित मार्ग में

" 64. वित्तीय लेनदार के आवेदन के लिए ट्रिगर गैर है

यह कारण है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) संहिता द्वारा निरस्त कर दिया गया है और दृष्टिकोण में बदलाव किया गया है

लाया गया। विधायी नीति अब दूर जाने वाली है

"ऋण का भुगतान करने में असमर्थता" की अवधारणा "के निर्धारण" के लिए

डिफ़ॉल्ट ". उक्त बदलाव वित्तीय लेनदार को साबित करने में सक्षम बनाता है,

ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, कि एक दायित्व था

ऋण का भुगतान करना और यह कि ऋणी इस तरह के दायित्व में विफल रहा है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

19. उपर्युक्त व्याख्याएँ यह स्पष्ट करती हैं कि

विलय और दिवालियापन संहिता, 2016 को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया है

पुनर्गठन और दिवाला समाधान बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम से संबंधित कानूनों में सुधार करना।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना। जहां तक निगमित देनदार का संबंध है,

संहिता का प्राथमिक ध्यान इसे अपने स्वयं के प्रबंधन से बचाकर और जहां तक संभव हो, इसे परिसमापन से बचाकर इसका पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा स्विस रिबन (ऊपर दिए गए) में संक्षिप्त रूप से कहा गया है, इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट को रखता है।

ऋणी अपने पैरों पर खड़ा है, न कि केवल वसूली कानून के लिए लेनदार।

19.1 . जब निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को आई. बी. सी. की भावना और इरादे पर उपरोक्त बुनियादी बातों के आधार पर समझा जाता है, तो यह भी स्पष्ट होता है कि इस तरह की प्रक्रिया का उद्देश्य निगमित देनदार के लिए प्रतिकूल नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से इसकी सुरक्षा के लिए है।

रुचियाँ। 19.2 . एक वित्तीय लेनदार के संबंध में, सी. आई. आर. पी. के लिए ट्रिगर कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऋण/ऋणों के खिलाफ एक लाख रुपये या उससे अधिक का चूक है। सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की मांग करते समय जो एक निगमित देनदार है,

वित्तीय लेनदार को 2016 के नियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी और साक्ष्य का खुलासा करते हुए संहिता की धारा 7 की आवश्यकताओं के अनुरूप आवेदन करना आवश्यक है। इसके बाद वित्तीय लेनदार के इस तरह के आवेदन को स्वीकार करने के लिए अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को संहिता की धारा 7 की उप-धारा (5) के अनुसार संतुष्ट होना होगा कि "चूक" हुई है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विचार की इस प्रक्रिया में,

निगमित देनदार को यह इंगित करने का अधिकार है कि इसमें चूक नहीं हुई है

इस अर्थ में कि "ऋण", जिसमें एक विवादित दावा भी शामिल हो सकता है, देय नहीं है। ऋण देय नहीं हो सकता है यदि यह कानून या वास्तव में देय नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कहा गया है, विधायी नीति अब "ऋण का भुगतान करने में असमर्थता" की अवधारणा से "चूक के निर्धारण" की ओर बढ़ना है।

आई. बी. सी. कार्यवाही पर सीमा कानून का संचालन

20. इन मूल सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद कि संहिता एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करना है और यह एक लाभकारी कानून नहीं है।

लेनदारों के लिए केवल धन वसूली कानून; और यह भी देखा गया है कि सी. आई. आर. पी. का उद्देश्य निगमित देनदार के प्रतिकूल होना नहीं है, बल्कि अनिवार्य रूप से अपने हितों की रक्षा करना है और यह कि निगमित देनदार की ओर से सी. आई. आर. पी. की उत्पत्ति चूक में है, अब हम संहिता के तहत कार्यवाही पर सीमा कानून के संचालन की जांच कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. धारा 238-ए, यह प्रावधान करते हुए कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे, संहिता में तब उपलब्ध नहीं थे जब यह न्यायालय था।

31.08.2017 पर अभिनव उद्योगों (ऊपर) में निर्णय दिया। हालाँकि, इस न्यायालय ने संहिता की योजना और धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की बारीकियों को समझाया, विशेष रूप से जब दिवाला समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है, तो एक लाख या उससे अधिक रुपये का चूक होने का कारण बनता है; और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इस संतुष्टि तक पहुंचने की आवश्यकता होती है कि आवश्यक चूक हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. के संबंध में लागू सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा अभिनव उद्योगों (ऊपर) में समझाया गया था, तब भी एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के विभिन्न निर्णयों में संहिता के लिए सीमा अधिनियम बहस का विषय बना रहा। इस तरह की बहस और इससे उत्पन्न संदेहों को दिवाला विधि समिति द्वारा निपटाया गया, जिसने मार्च, 2018 के महीने में अपनी रिपोर्ट में संहिता में आवश्यक प्रावधान लागू करने की सिफारिश की ताकि इस बात में कोई संदेह न रहे कि सीमा अधिनियम वास्तव में संहिता के तहत कार्यवाही पर लागू होता है। इसके परिणामस्वरूप अंततः 06.06.2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संहिता में उक्त धारा 238-ए को सम्मिलित किया गया। हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष इस धारा 238-ए की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था और यह बी. के. शैक्षिक सेवाओं (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के विस्तृत निर्णय में परिणत हुआ जो 11.10.2018 पर दिया गया था।

22. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (उपरोक्त) में, संहिता की धारा 238-ए की वैधता को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने दिवाला विधि समिति की उक्त रिपोर्ट पर ध्यान दिया और निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" 11. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पहले संहिता में धारा 238-ए को लागू करने का कारण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह दिवाला की रिपोर्ट में पाया जाता है।

मार्च 2018 की विधि समिति इस प्रकार हैः

" 28. सीमा आवेदन अधिनियम, 1963

28.1 . एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के कई निर्णयों में संहिता पर सीमा अधिनियम, 1963 (सीमा अधिनियम) के लागू होने के सवाल पर विचार-विमर्श किया गया है। इस विषय पर मौजूदा न्यायशास्त्र इंगित करता है कि यदि कोई कानून एक पूर्ण संहिता है, तो सीमा अधिनियम का एक स्पष्ट या आवश्यक बहिष्करण अबुलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम होना चाहिए।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सम्मान करते हैं। इस संबंध में भ्रम के आलोक में, समिति ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि

कोड। इसके अलावा, समापन की कार्यवाही में ऋणों को समयबद्ध नहीं किया जा सकता है, और इसे बाहर करने का कोई तर्क नहीं है। कानून के इस सिद्धांत का संहिता तक विस्तार।

28.2 . इसके अलावा, सीमा पर कानून के लागू न होने से निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती हैंः सबसे पहले, यह सी. आई. आर. पी. के लिए दायर करने के लिए सीमा अधिनियम के तहत समय-प्रतिबंधित ऋण रखने वाले वित्तीय और परिचालन लेनदारों के अधिकार को फिर से खोलता है, जिसके लिए एक लाख रुपये से अधिक के ऋण पर चूक होती है। सीमा कानून का उद्देश्य 'जो कुछ भी हो सकता है उसकी गड़बड़ी या वंचितता को रोकना' है।

आई. आर. पी./आर. पी. के साथ वर्जित दावे, जो संभावित रूप से इसका एक हिस्सा हो सकते हैं समाधान योजना। समयबद्ध ऋणों और दावों के पुनर्गठन की ऐसी समाधान योजना संहिता की धारा 30 (4) के अनुसार वर्तमान में लागू कानूनों के अनुपालन में नहीं हो सकती है।

28.3 . यह देखते हुए कि इरादा लेनदारों और दावेदारों के लिए एक नए अवसर के रूप में कोड को पैकेज करने का नहीं था, जिन्होंने नहीं किया था

निर्धारित सीमा अवधि के भीतर मौजूदा कानूनों के तहत अपने उपचार का प्रयोग करते हुए, समिति ने संहिता में सीमा अधिनियम को लागू करने वाली एक विशिष्ट धारा को सम्मिलित करना उचित समझा। द. सीमा अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रविष्टि मामले-दर-मामले के आधार पर हो सकती है। यह आगे नोट किया गया कि सीमा अधिनियम कॉर्पोरेट आवेदकों के आवेदनों पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शुरू किए गए हैं

सी. आई. आर. पी. के प्रयोजन के लिए अपने स्वयं के ऋणों के लिए आवेदक और लेनदार के उपचार के रूप में नहीं हैं।

(मूल और आपूर्ति में जोर)

12. समिति की रिपोर्ट से संकेत मिलेगा कि उसने आवेदन किया है।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णयों पर ध्यान दें। इसने [2020] 13 एस. सी. आर. भी लागू किया है।

इस पहलू पर ध्यान दें कि कानून एक पूर्ण संहिता है और

तथ्य यह है कि इस तरह की संहिता का इरादा नहीं हो सकता था

उन ऋणों को जीवन का एक नया पट्टा देना था जो समय है

वर्जित "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

22.1 . इसके अलावा, बी. के. शैक्षिक सेवाओं में, यह न्यायालय व्यापक रूप से

इन मुद्दों के साथ कि क्या संहिता संपूर्ण प्रकृति की है,

घ के परिणामस्वरूप सीमा अधिनियम को ओवरराइड किया जाता है और क्या उद्देश्य

ई विधायिका को संहिता के तहत निर्धारित सीमा को लागू करना था

दर्शनीय रूप से। इस न्यायालय ने कई निर्णयों और मार्च, 2018 की एन. एस. सॉल्वेंसी लॉ कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कहा कि

अनिश्चित शब्दों में कि,

" 34 ..... विधायिका ने एक लेनदार को सक्षम करने पर विचार नहीं किया जिसने इस तरह की अनुमति देने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करने की अनुमति दी है

संहिता के तंत्र के माध्यम से विलंबित दावे। कोड

वर्ष 2017 में उस ऋण के लिए ट्रिगर नहीं किया जा सकता है जो समय था

प्रतिबंधित, मान लीजिए, 1990 में, क्योंकि यह बेतुका और चरम पर ले जाएगा

किसी पुराने या मृत दावे के कारण संहिता लागू होने का परिणाम,

अंततः परिसमापन हो सकता है और इसलिए, कॉर्पोरेट मृत्यु हो सकती है। यह मामला होने के कारण, परिभाषा में "देय ऋण" अभिव्यक्ति

संहिता के अनुभाग स्पष्ट रूप से केवल उन ऋणों को संदर्भित करेंगे जो हैं

" देय और देय "कानून में, यानी, ऐसे ऋण जो समय-वर्जित नहीं हैं।

कि यह मामला पहले से ही हमारे द्वारा अभिनव में आयोजित किया जा चुका है

इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ऊपर)।

****

****

****

36. धारा 3 (12) में "डिफ़ॉल्ट" की परिभाषा इस अभिव्यक्ति का उपयोग करती है " देय और देय "अभिव्यक्ति के बाद" और द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है

ऋणी या निगमित ऋणी। ... " . " देय और देय "इन"

और देय ", वास्तव में निगमित देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। द. इस प्रावधान का संदर्भ इसलिए वास्तविक गैर-भुगतान है

निगमित देनदार जब कोई ऋण देय और देय हो गया हो।

****

****

**** बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम लागू होता है

संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर किए गए आवेदन

संहिता की शुरुआत, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 को प्राप्त होता है

आकर्षित किया। " इसलिए मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब

डिफ़ॉल्ट होता है। यदि चूक तीन साल से अधिक समय से हुई है आवेदन जमा करने की तारीख से पहले, आवेदन

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित किया जाएगा,

बचाएँ और उन मामलों को छोड़कर जहां, तथ्यों में मामले में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू किया जा सकता है

इस तरह के आवेदन दाखिल करने में देरी को क्षमा करें।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

23. अभिनव में दिनांकित 31.08.2017 के उपरोक्त निर्णयों के बाद

उद्योग और बी. के. शैक्षिक सेवाओं में दिनांकित, इस न्यायालय ने स्विस रिबन (ऊपर) के मामले में आई. बी. सी. के प्रावधानों की समग्र योजना और भावना की फिर से जांच की। स्विस रिबन में प्रासंगिक उच्चारण पहले ही यहाँ देखे जा चुके हैं।

24. इसके बाद, के. शशिधर (उपरोक्त) के मामले पर निर्णय लिया गया।

05.02.2019 . इसमें, ऋणदाताओं की समिति द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन या अस्वीकृति की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दा 3 3 लेकिन, विभिन्न प्रकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने नवीन उद्योगों (उपरोक्त) सहित संहिता के विधायी इतिहास से विस्तृत रूप से निपटने वाले निर्णयों पर ध्यान दिया। प्रस्तुतियों के दौरान, बी. के. में उक्त निर्णय। शैक्षिक सेवाओं का भी उल्लेख किया गया था और इसलिए, उसी का उल्लेख किया गया था और उसमें अनुपात को निम्नलिखित अंश में समझाया गया थाः

" 78. बी. के. एजुकेशनल में निर्णय के संबंध में, न्यायालय था

अधिनियम, 1963 धारा 7 के तहत किए गए आवेदनों पर लागू होगा। और/या संहिता की धारा 9 इसके प्रारंभ पर और उसके बाद से

1-12-2016 6-6-2018 तक। उस प्रश्न की जाँच इस संदर्भ में की गई थी

धारा 238-ए स्वयं द्वारा आई एंड बी कोड में डाला गया

2018 का संशोधन अधिनियम। न्यायालय को निर्देश देने के बाद

दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट की सामग्री

मार्च 2018 और संहिता के अन्य प्रावधान और अन्य

अधिनियमों में, यह राय दी गई कि धारा 238-ए में स्पष्टीकरण था प्रकृति और एक प्रक्रियात्मक कानून होने के नाते, यह माना गया कि यह था

33 ' संक्षेप में सीओसी।

पूर्वव्यापी प्रभाव। अदालत ने कहा कि कोई अन्य

देखने के परिणामस्वरूप एक असंगत स्थिति होगी क्योंकि सीमा अधिनियम के प्रावधान कुछ समूहों में लागू होंगे -

एक ही न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिए जाने वाले मामले, न कि अन्य मामलों में मामलों का समूह। इसके अलावा, न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया

मुकदमा करने का अधिकार उस तारीख को प्राप्त होता है जब डिफ़ॉल्ट होता है

आवेदन दाखिल करने की तिथि, उसी को माना नहीं जा सकता है "देय और देय ऋण" या "देय ऋण" के रूप में।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

25. जैसा कि देखा गया है, के. शशिधर में उपर्युक्त निर्णय था

आई. डी. 1 पर प्रस्तुत किया गया जिसमें बी. के. शैक्षिक सेवाओं के सिद्धांतों को निस्संदेह इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया था। हालाँकि, इसके बाद, जिग्नेश शाह (उपरोक्त) के मामले का फैसला इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 25.05.2019 पर किया गया। जिग्नेश शाह में इस तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में एक विशेष मार्ग (जैसा कि पैराग्राफ 21, एस. सी. सी. पी. 770) पर दोनों पक्षों द्वारा यह दावा करने के लिए भरोसा किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून उनके मामले का समर्थन करता है।

25.1 संदर्भित के अर्थ और महत्व को समझने के लिए

जिग्नेश शाह के पैराग्राफ 21 में दिए गए अवलोकनों के संदर्भ में इसके पाठ को पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए, जिग्नेश के मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान देना सार्थक होगा।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड ('एमसीएक्स') से एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ('एमसीएक्स-एसएक्स') के शेयर। इस समझौते के अनुसार, एमसीएक्स की एक समूह कंपनी के रूप में ला-फिन ने एक पत्र जारी किया आई. एल. एंड. एफ. एस. को 20.08.2009 पर यह वचन देते हुए कि ला-फिन या इसके नियुक्त मनोनीत व्यक्ति आई. एल. एंड. एफ. एस. से एम. सी. एक्स.-एस. एक्स. के शेयर एक वर्ष की अवधि के बाद, लेकिन निवेश की तारीख से तीन वर्ष से पहले खरीदने की पेशकश करेंगे। इसके बाद, आई. एल. एंड एफ. एस. ने एम. सी. एक्स.-एस. एक्स. में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा और ला-फिन से उपक्रम के संदर्भ में इन शेयरों को खरीदने का आह्वान किया। 16.08.2012 पर, ला-फिन ने उपरोक्त शेयरों को खरीदने के लिए किसी भी कानूनी या संविदात्मक दायित्व से इनकार करते हुए जवाब दिया।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वचन पत्र के विशिष्ट निष्पादन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ला-फिन द्वारा या, वैकल्पिक रूप से, हर्जाने के लिए यह कहते हुए कि कार्रवाई का कारण 16.08.2012 पर उत्पन्न हुआ जब ला-फिन ने इसका सम्मान करने से इनकार कर दिया

दायित्व। 13.10.2014 पर उक्त मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी। इसके बाद, आई. एल. एंड एफ. एस. द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 और 434 के तहत एक वैधानिक नोटिस ला-फिन को जारी किया गया था, जिसमें मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा ला-फिन की संपत्तियों की कुर्की का उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि ला-फिन स्पष्ट रूप से आई. एल. एंड एफ. एस. को देय राशि का भुगतान करने के लिए कोई वित्तीय स्थिति में नहीं था। इस सूचना के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय में ला-फिन के खिलाफ आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा आई. डी. 1 पर दायर की गई समापन याचिका आई. एल. एंड. एफ. एस. ने दायर की। जैसा कि देखा गया है, यह कंपनी

याचिका को एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया था और संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन के रूप में सुनवाई की गई थी। इस हस्तांतरित याचिका को एन. सी. एल. टी. द्वारा यह राय बनाते हुए स्वीकार किया गया था कि शेयर-खरीद समझौते और समझौता पत्र के अनुसार, ला-फिन द्वारा वित्तीय ऋण लिया गया था। अपीलार्थी जिग्नेश शाह द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया।

एनसीएलएटी। इसलिए, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेशों को इस अदालत में चुनौती दी गई थी। संहिता के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। यह वह पृष्ठभूमि रही है जिसमें आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा दायर याचिका के खिलाफ सीमा के वैधानिक प्रतिबंध पर इस न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 238-ए और बी. के. शैक्षिक सेवा (उपरोक्त) में निर्णय के संदर्भ में तर्क दिया गया था।

25.2 . इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह की गई दलीलों को स्वीकार कर लिया और बी. के. के प्रासंगिक अंशों को पुनः प्रस्तुत किया।

शैक्षिक सेवा ने निम्नलिखित शब्दों में कहा कि आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा दायर आवेदन पर सीमा का प्रतिबंध काम कर रहा थाः

" 12. यह निर्णय इस मुद्दे को याचिकाकर्ता/अपीलार्थी के पक्ष में करता है। संहिता में धारा 238 ए की शुरूआत के साथ, सीमा अधिनियम के प्रावधान संहिता के तहत किए गए आवेदनों पर लागू होते हैं। संहिता लागू होने से पहले दायर की गई समापन याचिकाओं को अब संहिता के तहत दायर याचिकाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए, यह तय किया जाना है कि क्या समापन किया जाना है

याचिका, जिस तारीख को दायर की गई थी, समय के अंतराल से वर्जित है। यदि ऐसी याचिका समयबद्ध पाई जाती है, तो संहिता की धारा 238 ए ऐसी समयबद्ध याचिका को नया जीवन नहीं देगी।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि समापन के रूप में

अगस्त, 2012 से तीन साल के बाद याचिका दायर की गई थी।

जो तब होता है जब, आई. एल. एंड. एफ. एस. के अनुसार भी, में डिफ़ॉल्ट होता है। पुनर्भुगतान हुआ था, यह समय द्वारा वर्जित है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

25.3 . हालांकि उपरोक्त निष्कर्ष के साथ, मामला खड़ा रहा

यह निष्कर्ष निकाला कि आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा दायर याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, लेकिन उसके बाद, न्यायालय ने एक अन्य पंक्ति की भी जांच की। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत कार्यवाही पर वसूली के लिए मुकदमे के प्रभाव के संबंध में पक्षों की दलीलें, जहां अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इस तरह के मुकदमे के अस्तित्व को या तो सीमा की अवधि को पुनर्जीवित करने या इसे बढ़ाने के रूप में नहीं माना जा सकता है, जहां तक समापन की कार्यवाही के संबंध में है। इस न्यायालय ने अपीलार्थियों के उक्त तर्क को स्वीकार कर लिया और उस संदर्भ में, ऐसी टिप्पणियां कीं जिन पर पक्षों द्वारा भरोसा किया जाता है और जिन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

" 21. उपरोक्त निर्णय सही ढंग से मानते हैं कि वसूली के लिए एक मुकदमा

कार्रवाई के कारण के आधार पर जो सीमा के भीतर है, किसी भी मामले में नहीं हो सकता है।

एक वाइंडिंग के अलग और स्वतंत्र उपचार को प्रभावित करने का तरीका

सीमा अधिनियम में उपबंधित तरीके से विस्तारित। उदाहरण के लिए, सीमा की धारा 18 के तहत दायित्व की स्वीकृति

अधिनियम निश्चित रूप से सीमा अवधि का विस्तार करेगा, लेकिन इसके लिए एक मुकदमा

वसूली, जो एक अलग और स्वतंत्र कार्यवाही है

बंद करने के उपाय से, किसी भी तरह से, प्रभाव नहीं पड़ेगा

सीमा जिसके भीतर समापन कार्यवाही दायर की जानी है, द्वारा

किसी तरह ऋण को समाप्त करने के उद्देश्य से जीवित रखना

आगे बढ़ें "।

25.4 . इसके अलावा, धाराओं में निहित प्रावधानों को पढ़ने के बाद

433 (ई) और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434, कंपनी के अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होने की स्थिति में बंद करने के लिए, इस न्यायालय ने जिग्नेश शाह (ऊपर) में और अधिक टिप्पणियां कीं कि ऐसी कार्रवाई में सीमा का कारण तब होता है जब चूक होती है जिसके बाद ऋण बकाया रहता है; और वह तारीख ही सीमा की अवधि की गणना के लिए प्रासंगिक है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) और 434 को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा, अबुलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 28. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि

सीमा अवधि का प्रारंभिक बिंदु तब होता है जब कंपनी

अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ, और यह कि धारा 434 एक डीमिंग प्रावधान है।

जो तीन स्थितियों को संदर्भित करता है जिनमें एक कंपनी होगी धारा 433 (ई) के तहत "अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ" माना जाता है। में।

पहली स्थिति, यदि लेनदार द्वारा मांग की जाती है जिसे कंपनी एक लाख से अधिक की राशि में ऋणी है जो तब देय है,

कंपनी को देय राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, और कंपनी

इसके बाद तीन सप्ताह तक "राशि का भुगतान करने में लापरवाही" की है, या

उचित संतुष्टि के लिए इसके लिए सुरक्षित या यौगिक

लेनदार "। भुगतान करने में लापरवाही केवल भुगतान करने में चूक होने पर ही उत्पन्न होगी देय राशि, जो स्पष्ट रूप से एक निश्चित तिथि होगी

प्रत्येक मामले के तथ्य। समान रूप से दूसरी स्थिति में, यदि निष्पादन

या अन्य प्रक्रिया किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश पर जारी की जाती है या कंपनी के लेनदार के पक्ष में न्यायाधिकरण, और वापस कर दिया जाता है

पूर्ण या आंशिक रूप से असंतुष्ट, देनदार की ओर से चूक कम्पनी होइत अछि। यह फिर से स्पष्ट रूप से एक निश्चित तिथि है जो निर्भर करती है

प्रत्येक मामले के तथ्य। और तीसरी स्थिति में, यह आवश्यक है कि "न्यायाधिकरण की संतुष्टि" के लिए साबित करें कि कंपनी है

अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ। यहाँ फिर से, ट्रिगर बिंदु पर तारीख है कौन सी चूक की गई है, जिसके कारण कंपनी

अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ। यह फिर से एक निश्चित तारीख है जो हो सकती है

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 से पता चलेगा कि कि फाइलिंग के लिए सीमा के उद्देश्य के लिए ट्रिगर बिंदु

धारा 433 (ई) के तहत एक समापन याचिका का होगा

तीन स्थितियों में से किसी में भी ऋण के भुगतान में चूक की तारीख धारा 434 में उल्लिखित है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

26. सिद्धांतों के उद्देश्य, प्रभाव और प्रभाव की जांच करने से पहले

जिग्नेश शाह में उपरोक्त निर्णय से, यह बल्कि है

इसके बाद के कुछ निर्णयों में दिए गए उद्धरणों पर ध्यान देना उचित होगा।

संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के लिए गार्ड, जिसके पास है वर्तमान अपील में उद्धृत।

27. ऐसा ही एक निर्णय वाशदेव आर के मामले में लिया गया था।

वानी (सुप्रा) जिसे 02.09.2019 पर प्रस्तुत किया गया था। उस मामले में, एक डिफ़ॉल्ट

.6.7 उस निगमित देनदार के खिलाफ करोड़ रुपये पाए गए, जिसका खाता [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋणदाता बैंक द्वारा 23.12.1999 पर NPA घोषित किया गया था और अंततः, इस राशि के लिए 24.12.2001 दिनांकित एक वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था। बाद में

पर, वित्तीय लेनदार ने 21.07.2017 पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि ब्याज के साथ उक्त राशि, जो 1998 से टिक टिक करती रही, उसे समनुदेशनकर्ता के रूप में देय थी। धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार किया गया था

05.03.2018 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा यह कहते हुए कि 'जैसा कि चूक जारी रही, कोई सीमा अवधि संलग्न नहीं की जाएगी और इसलिए याचिका को स्वीकार करना होगा'। अपीलीय न्यायाधिकरण

यह कहते हुए कि चूंकि वर्तमान मामले में कार्रवाई का कारण जारी था, इसलिए कोई सीमा अवधि संलग्न नहीं की जाएगी; और आगे यह कहते हुए कि 2001 के वसूली प्रमाण पत्र से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक चूक थी और

कोई स्थिर रक्षा नहीं थी। प्रासंगिक तथ्यों और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों की नींव पर ध्यान देने के बाद

और अपीलीय न्यायाधिकरण, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए इसे अस्वीकार कर दिया कि मामला बी. के. शैक्षिक सेवा (उपरोक्त) में निर्णय के दायरे में था और उपरोक्त उल्लेख किए गए अंश को दोहराते हुए। बी. के. शैक्षिक सेवाओं के अनुपात की कठोरता से बाहर निकलने के लिए, कार्रवाई के निरंतर कारण के मामले में सीमा की नई अवधि प्रदान करने वाले सीमा अधिनियम के प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि 1908 के पुराने सीमा अधिनियम की धारा 23 को 3,4 में संदर्भित किया गया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए इस तरह के तर्क को खारिज कर दिया:

34 हमने सीमा अधिनियम, 1908 में निहित प्रावधान का संकेत इस कारण से दिया है कि उद्धृत निर्णय में धारा 23 का उल्लेख किया गया है और इस न्यायालय के निर्णय की रिपोर्ट [1959] में दी गई है। (2) एस. सी. आर. 476 का उल्लेख किया गया है। संबंधित प्रावधान, मामलों की विशिष्ट श्रेणी के लिए कार्रवाई के निरंतर कारण के संबंध में अब निहित है सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 जो सीमा अधिनियम, 1908 की पूर्ववर्ती धारा 23 के समान है, लेकिन मामूली संशोधनों के साथ। संदर्भ के लिए, इन प्रावधानों को निम्नानुसार निकाला गया है:

सीमा अधिनियम, 1908 की धारा 23

" निरंतर उल्लंघन और गलतियाँ-अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में और अनुबंध से स्वतंत्र निरंतर गलत के मामले में, उस समय के हर क्षण पर सीमा की एक नई अवधि शुरू होती है जिसके दौरान उल्लंघन या गलत, जैसा भी मामला हो, जारी रहता है।

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 "निरंतर उल्लंघन और अपकृत्य। - अनुबंध के निरंतर उल्लंघन या निरंतर यातना के मामले में, उस समय के हर क्षण पर सीमा की एक नई अवधि शुरू हो जाती है, जिसके दौरान उल्लंघन या यातना, जैसा भी मामला हो, जारी रहती है। बुलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम।

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 4. पैरा 27 के चंगुल से बाहर निकलने के लिए, यह आग्रह किया जाता है कि सीमा अधिनियम की धारा 23 लागू होगी जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में सीमा को बचाया जाएगा। बालकृष्ण सावलराम पुजारी और अन्य बनाम श्री ध्यानेश्वर महाराज संस्थान और अन्य, [1959] सप मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों के फैसले से इस तर्क का प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया है। (2) एससीआर 476। इस मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" ..... इस तर्क से निपटने के लिए इसे स्वीकार करना आवश्यक है। ध्यान रखें कि धारा 23 एक निरंतर अधिकार को संदर्भित नहीं करती है, बल्कि एक

गलत जारी रखें। यह निरंतर गलत होने का सार है।

कि यह एक ऐसा कार्य है जो चोट का एक निरंतर स्रोत बनाता है और

उक्त चोट की निरंतरता। यदि गलत कार्य एक का कारण बनता है चोट जो पूरी हो चुकी है, कोई निरंतर गलत भी नहीं है

हालांकि अधिनियम से होने वाली क्षति जारी रह सकती है। अगर,

हालाँकि, एक गलत कार्य इस तरह का होता है कि चोट लग जाती है। इसके कारण ही यह जारी रहता है तो अधिनियम एक निरंतरता का गठन करता है

गलत है। इस संबंध में एक अंतर करना आवश्यक है। गलत कार्य के कारण हुई चोट और क्या हो सकता है

उक्त चोट के प्रभाव के रूप में वर्णित किया जाए। केवल इस संबंध में

उन कार्यों के लिए जिन्हें उचित रूप से निरंतरता के रूप में वर्णित किया जा सकता है

गलत है कि धारा 23 को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार माना जाता है कि

यह मानना मुश्किल है कि न्यासियों का कार्य पूरी तरह से इनकार करने में है वंशानुगत उपासक के रूप में गुरवों के कथित अधिकार और

दावा करना और उनके मुकदमे द्वारा उनसे अधिकार प्राप्त करना

1922 यह एक निरंतर गलत था। द्वारा प्राप्त आदेश

उक्त मुकदमे में न्यासियों ने प्रभावी रूप से घायल किया था और क्षति के बावजूद पूरी तरह से अपीलार्थियों के अधिकार

उक्त आदेश बाद में जारी रहा।

इस निर्णय के बाद, यह स्पष्ट है कि जब 24-12-2001 दिनांकित वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो इस प्रमाण पत्र ने अपीलार्थी के अधिकारों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप सीमा में कमी आनी शुरू हो गई होगी। 5. यह मामला होने के कारण, और

वर्तमान वाद में दावा समय-वर्जित होने के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कानूनी रूप से देय और देय है। हम अपील की अनुमति देते हैं और एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के आदेशों को खारिज कर देते हैं।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. वाशदेव आर. भोजवानी के मामले में निर्णय के कुछ दिनों बाद, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को बी. के. शैक्षिक सेवाओं में अनुपात को लागू करने और समझाने का एक और अवसर मिला। यह गौरव हरगोविंदभाई दवे (उपरोक्त) के मामले में था, जिसने 18.09.2019 पर निर्णय लिया था। इसमें, वित्तीय लेनदार ने संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के प्रपत्र संख्या 1 के प्रासंगिक कॉलम में चूक की तारीख बताई थी। एन. पी. ए. अर्थात 21.07.2011। धारा 7 के तहत आवेदन 03.10.2017 पर दायर किया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 62 को लागू किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि सीमा अवधि उस तारीख से बारह वर्ष थी जिस दिन मुकदमा किया गया धन देय हो गया था, इसलिए दावा सीमा के भीतर था और इसलिए, आवेदन को स्वीकार कर लिया। एन. सी. एल. ए. टी. ने एक और तर्क लागू किया कि सीमा का समय केवल 01.12.2016 से चलना शुरू होगा, जिस तारीख को संहिता लागू की गई थी। इस न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर ध्यान दिया और प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि समय 21.07.2011 (एन. पी. ए. की तारीख) पर चलने लगा, यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 7 के तहत दायर आवेदन समय-वर्जित था। गौरव हरगोविंदभाई दवे (ऊपर) में उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंशों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आदित्य पारोलिया ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 137 एक अवशिष्ट लेख होने के नाते इस मामले के तथ्यों पर लागू होगा, और केवल 21.07.2011 पर और उससे अर्जित मुकदमा करने के अधिकार के रूप में, 2014 में तब से तीन साल बीत चुके हैं, 2017 में दायर धारा 7 आवेदन स्पष्ट रूप से समय से बाहर है। उन्होंने बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम में हमारे फैसले का भी उल्लेख किया है। पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1921 उनके इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि यह है

सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 जो इस मामले के तथ्यों पर लागू होगा। 5. उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री देबल बनर्जी ने विशेष रूप से बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के पैरा 7 पर जोर देते हुए इसका विरोध किया और

एन. सी. एल. टी. के निष्कर्ष को दोहराया कि यह सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 62 होगा जो इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित होगा। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, एक वाणिज्यिक संहिता होने के नाते, ए

वाणिज्यिक व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि संहिता बनाई जा सके

काम करने योग्य।

6. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह को सुनने के बाद, जो स्पष्ट है वह यह है कि अनुच्छेद 62

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कि यह केवल सूट पर लागू होगा। वर्तमान मामला यह है

" एक आवेदन "जो धारा 7 के तहत दायर किया जाता है, गिर जाएगा

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा, समय, इसलिए, 21.07.2011 पर चलना शुरू हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप

जो धारा 7 के तहत दायर आवेदन स्पष्ट रूप से होगा समय-वर्जित। जहाँ तक बी. के. के पैरा 7 पर श्री बनर्जी की निर्भरता का संबंध है।

एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर), यह कहने के लिए पर्याप्त है

कि दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में ही कहा गया है

कि संहिता का उद्देश्य एक नया देना नहीं हो सकता था उन ऋणों के लिए जीवन पट्टा जो पहले से ही समय-वर्जित हैं।

7. यह मामला होने के कारण, हम यह देखने में विफल हैं कि यह पैरा संभवतः कैसे हो सकता है

उत्तरदाताओं के मामले में मदद करें। इसके अलावा, यह व्याख्या करना हमारे लिए नहीं है,

वाणिज्यिक या अन्यथा, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद जब यह

यह स्पष्ट है कि एक विशेष लेख आकर्षित होता है। यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है।

कि सीमा के बारे में कोई समानता नहीं है-निर्णयों में कहा गया है

कि अक्सर सीमा अधिनियम द्वारा प्रदान की गई समय अवधि हो सकती है

प्रकृति में मनमाना।

8. यह मामला होने के कारण, अपील की अनुमति है और इसके निर्णय

एनसीएलटी और एनसीएलएटी को अलग रखा गया है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

29. गौरव हरगोविंदभाई दवे (ऊपर) की ऊँची एड़ी के जूते पर,

इस न्यायालय ने सागर शर्मा (उपरोक्त) के मामले में एक बार फिर इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया, जिसका निर्णय 30.09.2019 पर लिया गया था। इसमें, इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के अलावा कि संहिता के प्रारंभ की तारीख सीमा का प्रारंभिक बिंदु हो सकती है (जैसा कि ऊपर देखा गया है), इस न्यायालय ने फिर से संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन पर बंधक देयता से संबंधित सीमा की अवधि को लागू करने में भ्रांति की ओर इशारा किया और

उन्होंने कहा -

" 2 ..... तथापि, हम विवादित निर्णय में पाते हैं कि अनुच्छेद 62

(गलती से अनुच्छेद 61 कहा गया) के प्रति आकर्षित होने के लिए कहा गया था

वर्तमान मामले के तथ्य, यह देखते हुए कि एक विलेख था

जो इस मामले में पक्षों के बीच निष्पादित किया गया था।

हम इंगित कर सकते हैं कि धारा 7 के तहत एक आवेदन

कोड किसी भी लागू करने के लिए एक आवेदन होने का तात्पर्य नहीं है बंधक देयता। यह एक वित्तीय लेनदार द्वारा किया गया आवेदन है।

यह कहते हुए कि एक डिफ़ॉल्ट, जैसा कि संहिता के तहत परिभाषित किया गया है, [2020] 13 एस. सी. आर.

जो डिफ़ॉल्ट राशि 1,00,000 (एक लाख रुपये) या उससे अधिक है

जो तब तय किए गए सिद्धांतों पर संहिता के अनुप्रयोग को प्रेरित करता है जो इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

30. जब संहिता की धारा 238-ए को उपरोक्त के साथ पढ़ा जाता है। नवान्वेषी उद्योगों में इस न्यायालय के सुसंगत निर्णयों का उल्लेख किया,

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज, स्विस रिबन, के. शशिधर, जिग्नेश शाह, वाशदेव आर. भोजवानी, गौरव हरगोविंदभाई

क्रमशः डेव और सागर शर्मा, निम्नलिखित मूल बातें

निस्संदेह सामने आते हैंः (ए) कि कोड एक फायदेमंद है

और यह केवल धन वसूली कानून नहीं है; (बी) कि सी. आई. आर. पी. निगमित देनदार के प्रतिकूल होने का इरादा है लेकिन इसका उद्देश्य है

निगमित देनदार के हितों की रक्षा करना; (ग) वह इरादा

संहिता का उद्देश्य उन ऋणों को नया जीवन देना नहीं है जो

समय-वर्जित; (घ) कि किसी आवेदन के लिए सीमा की अवधि संहिता की धारा 7 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत करने की मांग शासित है।

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा और इसलिए, तीन वर्ष है।

उस तारीख से जब आवेदन करने का अधिकार अर्जित होता है; (ई) कि के लिए ट्रिगर

वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत इस बात में चूक है कि

निगमित देनदार, अर्थात, जिसके तहत आवेदन करने का अधिकार है

कोड उस तारीख को जमा होता है जब डिफ़ॉल्ट होता है; (च) वह डिफ़ॉल्ट

संहिता में निर्दिष्ट वास्तविक गैर-भुगतान का है

निगमित देनदार जब कोई ऋण देय और देय हो गया हो; और

(छ) कि यदि चूक तारीख से तीन साल पहले हुई थी आवेदन जमा करने के लिए, आवेदन समय-वर्जित होगा

बचाएँ और उन मामलों को छोड़कर जहां, तथ्यों पर, दाखिल करने में देरी होती है

माफ किया जा सकता है; और (ज) धारा 7 के तहत एक आवेदन संहिता बंधक दायित्व के प्रवर्तन के लिए नहीं है और अनुच्छेद 62

इस आवेदन पर सीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। क्या धारा 18 सीमा अधिनियम को लागू किया जा सकता है

एक मामला

31. जबकि उपरोक्त सिद्धांत स्पष्ट हैं

इस न्यायालय के स्थायी निर्णय, विवाद का एकमात्र क्षेत्र, जिसके आसपास

पक्षकारों के लिए विद्वान वकीलों के कथन में घूमते हैं

एन. टी. मामला, सीमा अधिनियम की धारा 18 के लागू होने के बारे में हैनिर्णय के अनुच्छेद 21 में होने वाली टिप्पणियों का सटीक विवरण

ज्ञानेश शाह (ऊपर)।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

32. हमने सभी प्रासंगिक और भौतिक टिप्पणियों पर ध्यान दिया है।

और जिग्नेश शाह के मामले में इससे पहले दिए गए उद्धरण। प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि जिग्नेश शाह में निर्णय के पैराग्राफ 21 में सीमा अधिनियम की धारा 18 का उदाहरणात्मक संदर्भ केवल मुकदमे या अन्य कार्यवाही के संबंध में था, जहां भी यह लागू हो सकता था और जहां सीमा की अवधि की स्वीकृति के कारण बढ़ाई जा सकती थी

इस न्यायालय द्वारा किसी भी तरह से शैक्षिक सेवाओं में परिवर्तन किया गया है। जैसा कि देखा गया है, बी. के. शैक्षिक सेवाओं में, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के लिए सीमा अवधि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई है, जो चूक की तारीख से शुरू होती है और केवल सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन द्वारा बढ़ाई जा सकती है, यदि देरी की माफी के लिए कोई मामला बनाया जाता है। जिग्नेश शाह के पैराग्राफ 12 में दिए गए निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि अदालत ने वास्तव में बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज में बताए गए सिद्धांतों को लागू किया और कहा कि चूक की तारीख से तीन साल से अधिक समय तक दायर की गई समापन याचिका पर रोक लगा दी गई थी। 32.1 . बाद के फैसलों में भी, इस न्यायालय ने बी. के. शैक्षिक सेवाओं (उपरोक्त) में कानून की घोषणा को लगातार लागू किया है। जैसा कि देखा गया है,

वाशदेव आर. भोजवानी (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने इस उद्देश्य के लिए कार्रवाई के निरंतर कारण का सुझाव देने वाले तर्क को खारिज कर दिया

संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करते हुए यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सीमा दिनांक 24.12.2001 के पुनर्प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से टिक टिक करना शुरू कर दिया। पुनः, गौरव हरगोविंदभाई दवे (उपर्युक्त) के मामले में, जहां संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन में चूक की तारीख को एन. पी. ए. की तारीख यानी <आई. डी. 2 कहा गया था, इस न्यायालय ने माना कि सीमा एन. पी. ए. की तारीख से चलने लगी और इसलिए, 03.10.2017 पर संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित कर दिया गया था।

32.2 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं

जिग्नेश शाह (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 21 में होने वाली टिप्पणियों के एक हिस्से के संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा बनाए गए तर्क। 35 बंद करने की कार्यवाही के संबंध में जो देखा गया है, वह आई. बी. सी. के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की मांग करने वाले आवेदन पर लागू होता है।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. उपरोक्त के अलावा और भले ही यह माना जाए कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार स्वीकृति से संबंधित सिद्धांत संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के उद्देश्य के लिए समय बढ़ाने के लिए लागू होते हैं, हमारे विचार में, न तो उक्त प्रावधान और सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होते हैं और न ही वे प्रतिवादी संख्या 2 के लाभ के लिए इस मौलिक कारण से आश्वस्त होते हैं कि एनसीएलटी के समक्ष किए गए आवेदन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने विशेष रूप से चूक की तारीख को '8.7.2011 एनपीए की तारीख' के रूप में बताया है। यह निर्विवाद है कि न तो डिफ़ॉल्ट की कोई अन्य तारीख में कहा गया है

आवेदन और न ही किसी स्वीकृति के बारे में कोई सुझाव दिया गया है

बनाया गया। जैसा कि देखा गया है, आवेदन के भाग-5 में भी, प्रत्यर्थी संख्या 2 को अभिलेख पर दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ वित्तीय ऋण का विवरण देना आवश्यक था। आवेदन के उक्त भाग-5 में और यहां तक कि उसमें अवशिष्ट बिंदु संख्या 8 में भी आवेदक द्वारा दिए जा सकने वाले विभिन्न विवरणों में, तथाकथित पावती या चूक की किसी अन्य तिथि के बारे में किसी भी स्थान पर कुछ भी नहीं कहा गया था। 33.1 . इसलिए, वर्तमान मामले की स्वीकृत तथ्य स्थिति पर, जहां केवल चूक की तारीख '08' के रूप में बताई गई है।

संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन को बनाए रखने का उद्देश्य, और यहां तक कि किसी भी पावती या चूक की किसी अन्य तारीख का सुझाव देने के लिए आवेदन में एक आधार भी नहीं रखा गया है, हमारे विचार में, प्रस्तुतियाँ

बाद के चरण में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह सामान्य बात है कि सीमा का प्रश्न अनिवार्य रूप से कानून और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है और जब कोई पक्ष इसके विस्तार या विस्तार के लिए किसी विशेष प्रावधान को लागू करना चाहता है।

सीमा की अवधि में, प्रासंगिक तथ्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 ने आवेदन में चूक की तारीख '08.07.2011' के रूप में बताए जाने के अलावा कभी भी कोई अभिवचन नहीं किया। यह स्थिति होने के कारण, सीमा अवधि के विस्तार का कोई मामला जांच के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में, भले ही सीमा अधिनियम की धारा 18 और उसके सिद्धांत लागू होते, लेकिन यह वर्तमान मामले में विचाराधीन आवेदन पर लागू नहीं होगा, जिसमें उसमें चूक के संबंध में कथन और स्वीकृति के संबंध में किसी अन्य कथन के अभाव को देखते हुए। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, महावीर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के फैसले पर भरोसा करें। लिमिटेड प्रतिवादी संख्या 2 के कारण को आगे नहीं बढ़ाता है।

34. उत्तरदाताओं की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं और एन. बालकृष्णन (ऊपर) में निर्णय का संदर्भ भी गलत है।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सी. आई. आर. पी. पर सीमा नियमों का अनुप्रयोग (इस न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित सुसंगत निर्णयों के साथ पठित संहिता की धारा 238 ए के आधार पर), किसी भी तरह से, प्रतिवादी संख्या 2 के किसी भी अधिकार से संबंधित नहीं है; यह केवल संहिता के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के विशेष उपाय का सहारा लेने पर रोक लगाता है। समान रूप से, सीमा कानून के किसी भी कठोर अनुप्रयोग के बारे में उत्तरदाताओं की ओर से की गई अन्य प्रस्तुतियाँ जो

द्वारा आवेदन दाखिल करने के बाद ही संहिता में पेश किया गया था प्रतिवादी संख्या 2; या अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए होने वाले तथाकथित पूर्वाग्रह के बारे में भी कोई सार नहीं है, विशेष रूप से

इस न्यायालय द्वारा बी. के. शैक्षिक सेवा (उपरोक्त) में निर्णय से ही निर्धारित और लगातार पालन किए जाने वाले सिद्धांतों के आलोक में। इन दलीलों को केवल खारिज किए जाने के लिए नोट किया गया है। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जब प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सी. आई. आर. पी. के लिए किए गए आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया जाता है, तो प्रवेश के आदेश के बाद उसमें की गई कोई भी कार्यवाही किसी भी प्रभाव की नहीं हो सकती है। ऐसी सभी कार्यवाहियाँ अस्थाई रहती हैं और केवल रद्द की जा सकती हैं।

NCLAT के कारण

35. पूर्वगामी चर्चा व्यावहारिक रूप से इस मामले में आग्रह किए गए तर्कों के प्रमुख भाग को समाप्त करती है, लेकिन, रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए, हम एनसीएलएटी द्वारा विवादित में अपनाए गए तर्कों पर भी विचार कर सकते हैं।

दिनांकित आदेश 14.05.2019। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, हालाँकि एन. सी. एल. ए. टी. ने 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत आवेदन के लंबित होने का उल्लेख किया है और इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि निगमित देनदार ने इसके लिए अनुरोध किया था।

एन. सी. एल. ए. टी. के साथ यह मानने के लिए वजन किया है कि विचाराधीन आवेदन है सीमा के भीतरः एक, कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करने का अधिकार प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार को 01.12.2016 पर अर्जित किया गया जब

संहिता लागू हुई; और दूसरा, कि गिरवी रखी गई संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए सीमा की अवधि बारह वर्ष है। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस प्रकार अपनाए गए तर्क इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुरूप नहीं हैं और केवल अस्वीकार किए जा सकते हैं। 36. यह प्रश्न कि क्या संहिता के प्रवर्तन की तारीख (अर्थात, 01.12.2016) संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन के लिए सीमा का प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है और इसलिए, वर्ष 2018 में किया गया विचाराधीन आवेदन, सीमा के भीतर है, अधिक समय देने के लायक भी नहीं है। विवादित आदेश के पैराग्राफ 21 पर एक नंगी नज़र डालने से यह अनुमान लगाने के लिए कुछ नहीं बचता है कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह की टिप्पणियां बिना किसी आधार के और बिना किसी आधार के केवल अनुमानित प्रकृति की थीं। संहिता में दूर से भी यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्या सीमा की अवधि [2020] 13 एस. सी. आर.

धारा 7 के तहत आवेदन के उद्देश्य के लिए संहिता के शुरू होने की तारीख से ही शुरू होना है। इसी तरह, सीमा अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी चीज़ को प्रस्ताव के समर्थन के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने ऐसा कहा है। वास्तव में, इस तरह की टिप्पणियां बी. के. के मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के दायरे में थीं।

सीमा के भीतर समान अनुप्रयोग। एन. सी. एल. ए. टी. के इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा सागर शर्मा (ऊपर) मामले में विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, जहां यह देखने के बाद कि बी. के. शैक्षिक सेवा (ऊपर) में यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि संहिता के लागू होने की तारीख 01.12.2016 इस न्यायालय ने कहा कि संहिता के प्रयोजनों के लिए किसी भी सीमा अवधि को शुरू करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक था,

" 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि हमारे निर्णयों का अक्षरशः पालन किया जाता है। आई. बी. संहिता के लागू होने की तारीख संहिता के तहत दायर आवेदनों के लिए सीमा का कारण नहीं बनती है और न ही हो सकती है। समान रूप से, चूंकि "आवेदन" वे याचिकाएं हैं जो संहिता के तहत दायर की जाती हैं, इसलिए यह सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 है जो इन पर लागू होगा।

अनुप्रयोग "।

37. विवादित आदेश के पैराग्राफ 29 और 30 में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई अन्य टिप्पणियों और अपनाए गए तर्क के अनुसार, कि संपत्ति को गिरवी रखा गया है, दावा गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में बारह साल की सीमा की अवधि के कारण सीमा द्वारा वर्जित नहीं है, फिर से गलत था और इस न्यायालय के आदेश के अनुरूप नहीं था।

37.1 . अपीलीय न्यायाधिकरण बी. के. शैक्षिक सेवा (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय से अवगत था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 137 में दी गई सीमा संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन को नियंत्रित करती है। जब अनुच्छेद 137, "अन्य आवेदनों" के लिए सीमा की अवधि पर अवशिष्ट प्रावधान होने के कारण इस न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण इस तरह के आवेदन के उद्देश्य के लिए किसी अन्य सीमा अधिनियम (और वह भी मुकदमों से संबंधित) के अनुच्छेद को कैसे लागू कर सकता था?

37.2 . परिस्थितियों की समग्रता में, हम उसी आदेश के पैराग्राफ 24 का उल्लेख करने के लिए भी विवश हैं, जिसमें अपीलीय बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम.

वीर गुर्जर एल्यूमीनियम उद्योग पी. वी. टी. लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

न्यायाधिकरण ने बिनानी इंडस्ट्रीज के मामले में अपने स्वयं के निर्णय पर ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा अधिनियम की अनुसूची के प्रथम खंड में निर्धारित सीमा की अवधि (मुकदमों के लिए सीमा अवधि प्रदान करना) संहिता के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। हालाँकि, आक्षेपित आदेश के बाद के भाग में अवलोकन और निष्कर्ष उसी आदेश के उक्त अनुच्छेद 24 में होने वाले अवलोकनों के विपरीत हैं। 37.3 . यह फिर से प्रतीत होता है कि अन्य मामलों में भी न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरण के साथ इसी तरह का तर्क प्रचलित था।

जहां बंधक संपत्ति (और इस प्रकार बारह वर्ष की सीमा की अवधि) से संबंधित मुकदमों से संबंधित सीमा अधिनियम के अनुच्छेदों को यह अभिनिर्धारित करने के लिए लागू करने की मांग की गई थी कि संहिता की धारा 7 के तहत इसी तरह के आवेदन सीमा द्वारा वर्जित नहीं थे। इस तरह के प्रस्तावों को विशेष रूप से गौरव हरगोविंदभाई दवे (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, गौरव हरगोविंदभाई दवे (ऊपर) में इस न्यायालय ने संहिता की धारा 7 के तहत ऐसे आवेदन पर सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 62 को लागू करने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के दृष्टिकोण को इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दिया कि अनुच्छेद 62 रास्ते से बाहर है, क्योंकि यह केवल मुकदमों पर लागू होता है; और धारा 7 के तहत आवेदन अवशिष्ट अनुच्छेद 137 के दायरे में आता है। सागर शर्मा (ऊपर) में, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के उद्देश्य के लिए बंधक देयता से संबंधित सीमा की अवधि को लागू करने में फिर से भ्रांति की ओर इशारा किया।

37.4 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीमा की अवधि को लागू करने में गलती की थी

विचाराधीन आवेदन पर लागू सीमा के उद्देश्य से बंधक देयता के लिए प्रदान किया गया। आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 29 और 30 में टिप्पणियों और निष्कर्षों को भी अस्वीकृत करने की आवश्यकता है।

सारांश

38. पूर्वगामी चर्चा इस अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि मार्च 2018 के महीने में संहिता की धारा 7 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किया गया आवेदन, जिसमें चूक की तारीख के विशिष्ट दावे के साथ कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग की गई थी।

08.07.2011 , स्पष्ट रूप से आवेदन में बताए अनुसार चूक की तारीख से तीन साल की अवधि से बहुत बाद में दायर किए जाने के लिए सीमा द्वारा वर्जित है। एन. सी. एल. टी. ने सीमा के प्रश्न की जांच नहीं की है; एन. सी. एल. ए. टी. ने पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर सीमा के प्रश्न का निर्णय लिया है; और प्रत्यर्थियों की ओर से स्वीकृति के सिद्धांतों के संदर्भ में सीमा को बचाने का प्रयास अस्थिर पाया गया है, विवादित आदेशों को अलग किया जाना चाहिए [2020] 13 एस. सी. आर.

और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित होने के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए।

अन्य कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होंगी

39. इस मामले पर समापन करने से पहले, हम यह देखने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन को आगे बढ़ाने के समय, 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत एक याचिका डी. आर. टी. के समक्ष कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ लंबित थी। एन. सी. एल. टी. द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन को स्वीकार करने के मद्देनजर, 1993 के अधिनियम की धारा 19 (और निगमित देनदार के खिलाफ कोई अन्य लंबित मामला) के तहत उक्त याचिका संहिता की धारा 14 के संदर्भ में स्थगन की अवधि के दौरान आगे नहीं बढ़ सकती थी। अब, इस निर्णय के आधार पर, संहिता की धारा 7 के तहत उक्त आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया जाएगा और इसके तहत सभी कार्यवाहियां रद्द कर दी जाएंगी। आवश्यकता के रूप में

परिणामस्वरूप, संहिता की धारा 14 के संदर्भ में अधिस्थगन होगा

हटा दिया जाता है और इसलिए, उन रुकी हुई कार्यवाही को अब संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/प्राधिकरणों द्वारा लिया जाना चाहिए और कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाना चाहिए। न्याय के हित में, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में टिप्पणियां केवल उस मुद्दे के संबंध में प्रासंगिक हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन सीमा से वर्जित है और उससे आगे नहीं। दूसरे शब्दों में, इस निर्णय की किसी भी बात का किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे उसके गुण-दोष और कानून के अनुसार निपटा जाएगा।

निष्कर्ष

40. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अपील को इंगित सीमा तक और पूर्वगामी टिप्पणियों के साथ अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) दिवाला संख्या 549 में पारित और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई पीठ द्वारा सी. पी. (आई. बी.)-488/आई. एंड. बी. पी./एम. बी./2018 में पारित दिनांक 09.08.2018 के विवादित आदेशों को खारिज कर दिया गया है। और संहिता की धारा 7 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किया गया आवेदन,

प्रत्यर्थी संख्या 1 के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग को सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।

नतीजतन, आई. आर. पी. की नियुक्ति सहित संहिता की धारा 7 के तहत उक्त आवेदन में की गई सभी कार्यवाही रद्द कर दी जाती हैं। नहीं। लागतें।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान